

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
17 मैनुअलों का संग्रह
मैनुअल संख्या 1 से 17
अष्टम् संशोधित संस्करण वर्ष 2016–17



परियोजना निदेशक,
भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान
पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश (देहरादून)
प्राक्कथन''

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद धारा-4 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यालयों, विभागों में अधिनियम की धारा-4 के अर्न्तगत 17 मैनुअल्स बनाये जाने का प्राविधान था प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध है, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाये तो आधारभूत सूचनायें इन मैनुअलों में ही उपलब्ध हो जायेगी, तथा शेष सूचनाओं के लिये अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा ।

पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा अधिनियम की धारा-4 द्वारा निर्धारित 17 मैनुअलों के अर्न्तगत विभिन्न विभागीय सूचनाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, विभाग के लिये जहां यह एक अभिनव एवं चुनौती पूर्ण कार्य था, तब विभागीय मैनुअलों को अध्यावधिक रूप से व्यवस्थित करने की पुरानी परम्परा को पुर्नजिवित करने में सहभाग करने हेतु एक सुखद अनुभव भी था, इसी अवधारणा से इस कार्य को सम्पन्न किया गया है । मैनुअलों को 02 भागों में विभाजित किया गया है ।

भाग-1 मैनुअल संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17

अध्यावधिक करने के उपरान्त जो मैनुअल का रूप उभर कर आ या है, इस हेतु माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना निदेशक,भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक प्रक्षेत्र-ऋषिकेश जनपद देहरादून मैनुअलों को अध्यावधिक किया गया है तथा सभी मैनुअलों को कम्प्यूटरीकृत कर माननीय उत्तराखण्ड सूचना के अनुमोदन एवं सूचना आयोग एवं विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। ताकि जन सामान्य को इस केन्द्र से संबंधित सूचनाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सकें।

उक्त मैनुअल संग्रह को अपडेट करने का दायित्व अधोहस्ताक्षरी एवं लोक सूचना अधिकारी,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,पशुलोक प्रक्षेत्र-ऋषिकेश के सानिध्य में इस कार्य में मुख्यतः श्री अलवर सिंह वैयक्तिक सहायक, पशुलोक द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया । मैनुअल संग्रह को एक व्यवस्थित रूप देने तथा अध्यावधिक करने में मा0 सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड, के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन समय-समय पर प्राप्त हुआ, इसके लिये उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ ।

दिनांक

स्थान: पशुलोक-ऋषिकेश

(डा0एस0के0शर्मा)
परियोजना, पशुलोक ।

हस्तपुस्तिका की सामग्री

क्रम सं०	विवरण
1.	मैनुअल नं-1 संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य
2.	मैनुअल नं-2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
3.	मैनुअल नं-3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षा और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।
4.	मैनुअल नं-4 कर्तव्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक/नियम

मैनुअल-1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

The particulars of its
Organization, Functions and
duties.

प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 में सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था इनके अन्तर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहाँ सामान्य प्रबन्धक के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी मेलों का आयोजन कराया जाता था। इसको प्रभावी बनाने हेतु सन् 1901 में सात पशुचिकित्सालय की स्थापना की गयी।

वर्ष 1899 में ग्लाईन्डर एण्ड फारसी तथा 1910 में पशुफार्म मझरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरीकुण्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये पंजाब पशुचिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

वर्ष 1916 में पशुपालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टों के अधीन रखकर तीन सर्किलों को बाटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारी जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यों में आयी समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष केटिल बीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खेरी) माधुरीकुण्ड फार्म (मथुरा) कृषि विभाग को सौंप दिये गये तथा बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में क्वाराइन स्टेशन खोले गये। वर्ष 1933 में सब सर्किलों को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वैटनरी इनवेस्टीगेशन ऑफिसर नियुक्त किये गये पशुप्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा सन्तोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया इस प्रकार 1944 तक धीरे धीरे पशु सम्बन्धी सभी कार्य सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये।

1 अप्रैल 1944 में निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वैटनरी डिपार्टमेन्ट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन के नियंत्रण में ग्रहण कर लिये गये।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात पशु, लघु पशु मछली, कुक्कुट डेरी गौशाला रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गयी व वर्ष 1945 में वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु बी०पी० सेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बॉझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गयी व वर्ष 1946 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया।

1947 में पशुचिकित्सालय के नियंत्रण हेतु यू0पी0 प्रोविलाईजेशन आफ हास्पिटल एक्ट तथा वैटनरी प्रैक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू0पी0 वैटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किये गये।

वर्ष 1953 में गौ सवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप उत्तरप्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया आने वाले समय की माँग को देखते हुए क्रमशः 1947 व 1960 में पशुचिकित्सा विभाग एवं पशुपालन महा विद्यालय मथुरा एवं पन्तरगर (नैनीताल) की स्थापना की गयी जिसके अन्तर्गत 4 वर्षीय बी0वी0एस0सी तथा 2 वर्षीय एम0वी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों की शुरुवात हुई।

वर्ष 1964 में यू0पी0 लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट एक्ट यू0पी0 गौशाला एक्ट पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू0पी0 काऊ सैलेटर नियम बनाये गये।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थिति पशुपालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, उपनिदेशक, मुख्यालय लघुपशु (के विलेज स्कीम) (रिन्डर पैस्ट) बनाये इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग पशुधन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा स्थापना योजना सांख्यिकी पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये, पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगजरिया (लखनऊ) पर यह योजना चलायी गयी एवं बुल रियरिंग फार्म (मथुरा) तथा आटा (जालौन) निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किये गये और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया जिसमें उत्तरांचल राज्य में पशुपालन विभाग, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून में स्थापित है।

बेहतर प्रशासनिक एवं नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु 9 सर्किलों में बाँटा गया और प्रत्येक सर्किल में उपनिदेशक कार्य देखने हेतु रखे गये, उत्तरांचल राज्य में 2 सर्किल से मण्डल अब भी कार्यरत है।

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ मण्डल।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, नैनीताल।

तथा प्रत्येक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी रखे गये थे, जो अब उत्तराखण्ड राज्य में 13 जनपदों में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उत्तरांचल राज्य में पशुपालन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित बोर्ड एवं कार्यालय, पशुचिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र स्थापित है।

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश की स्थापना

महात्मा गांधी जी की परम शिष्या मीरा बेन द्वारा पशुलोक आश्रम की स्थापना की जिसमें गो-सेवा, चिकित्सा आदि प्रवृत्तियां आरम्भ की, पशु-पक्षियों के बीच में जाकर बसने और सेवा कार्य करने के अपने विचारों के अनुरूप किसी ऐसे क्षेत्र का निर्माण करना चाहती थी, जिसमें सवांगीण विकास हो सके। इसी पृष्ठ-भूमि में पशुलोक की स्थापना हुई। भूमि शासनादेश सं० 4792/X/17/132-50/दिनांक 15.11.1954 से 2116 एकड़ एवं शासनादेश सं० 4070/X/132-50/दिनांक 3.11.1955 से 30.00 एकड़ कुल 2146 एकड़ भूमि प्राप्त हुई वर्ष 1954-55 में उ०प्र० शासन द्वारा पशुधन विकास हेतु यह 2146 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को 99 वर्षों हेतु लीज पर हस्तान्तरित करायी गयी। समय-समय पर इस भूमि में से स्थानीय विकास हेतु अन्य योजनाओं को हस्तान्तरित करायी जाती रही, शेष भूमि पर पशुपालन विभाग की गतिविधियां निम्न प्रकार शासन द्वारा स्वीकृत की गयी।

पशुलोक प्रक्षेत्र पर उ०प्र० सरकार द्वारा पर्वतीय जनपदों के विकास हेतु वर्ष 1954 से 1957 के मध्य भेडों का आयात किया गया तथा क्वारनटाईन के पश्चात 50 मैड विभिन्न जनपदों में भेड विकास हेतु वितरित किये गये। वर्ष 1954 में भेड बकरी रोग अनुसंधान प्रयोगशाला एवं ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गयी, तथा वर्ष 1954-55 में में अश्व एवं गर्दभ प्रजनन केन्द्र की स्थापना उ०प्र० सरकार द्वारा कराते हुये इस केन्द्र को केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र नाम दिया गया।

1. परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक-ऋषिकेश - मुख्य कार्यालय
2. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र (उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित)
3. क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान उपकेन्द्र,
4. ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला,

5. पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र,
 6. प्रशिक्षणरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेयरी यूनिट
 7. सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र, (उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित)
 8. कृषि अनुभाग,—प्रक्षेत्र पर उपलब्ध पशुओं के लिये हरे एवं सूखे चारे की व्यवस्था
 9. कुक्कुट प्रजनन इकाई
 10. सूकर पालन इकाई,
 11. रोग निदान प्रयोगशाला
1. **परियोजना निदेशक, कार्यालय**— उपरोक्त सभी योजनाओं के संचालन हेतु अनुभाग प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना, आवश्यक पत्र व्यवहार एवं शासन द्वारा प्रदत्त आहरण वितरण अधिकारों का प्रयोग करते हुये शासन के निर्देशों का पालन करना।
 2. **अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र**—शासन के निर्देशानुसार केन्द्र यू0एल0डी0बी0 को हस्तान्तरित हो चुका है, किन्तु आहरण वितरण का अधिकार परियोजना निदेशक, पशुलोक के पास है।
 3. **क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान उपकेन्द्र**— प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न राजकीय प्रक्षेत्रों से प्राप्त चारे/पशुआहार के नमूनों का पौष्टिकता की जांच सम्बन्धी पूर्ण रसायनिक विश्लेषण एवं क्रेताओं को परिणाम से अवगत कराना तथा कार्यालय सम्बन्धी अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति प्रशासनिक वित्तीय कार्य सम्पादन करना।
 4. **ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला**—योजना के अन्तर्गत पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में स्थापित राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्रों से भेडों की ऊन के सैम्पल एकत्र कर उन का विश्लेषण किया जाता था, किन्तु उत्तरांचल राज्य बनने के बाद इस योजना का कार्य क्षेत्र केवल पर्वतीय क्षेत्र ही रह गया है,। प्रयोगशाला वर्तमान में पशुलोक प्रक्षेत्र पर ही कार्यरत है।
 5. **पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र**—योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ अंचलों में जहां पर पशु अस्पतालों की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां पर पशुसेवा केन्द्रों की स्थापना कर पशुधन प्रसार अधिकारियों की तैनाती की जाती है, इस केन्द्र पर दो वर्षिय पाठयक्रम चलाकर पशुधन प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिन्हें आवश्यकतानुसार पशुचिकित्सालयों एवं पशुसेवा केन्द्रों पर तैनात किया जाता है।
 6. **प्रशिक्षणरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेयरी यूनिट**— पशुलोक प्रक्षेत्र पर स्थापित पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कृत्रिम गर्भाधान एवं गौवंश से अन्य जानकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. **कृषि अनुभाग**— अनुभाग द्वारा प्रक्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सूखे व हरे चारे के उत्पादन के साथ-साथ प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन एवं उन्नतशील बहुवर्षिय चारा घासों के उत्पादन, वितरण एवं उत्पादन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । प्रयोग में लगभग 34 एकड़ भूमि है ।
8. **कुक्कुट प्रजनन इकाई**—राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक-ऋषिकेश द्वारा वर्तमान में कुराईलर पैरेन्ट पक्षियों का रखरखाव एवं कामर्शियल कुराईलर कुक्कुट पक्षियों का उत्पादन करना है एवं सम्बन्धित जिलों की मांग के अनुसार उन्हें एक दिवसीय चूजे उपलब्ध कराना है ।
9. **सूकर पालन इकाई**—अनुभाग में उन्नत नस्ल (लार्जव्हाईट यार्कसायर) के प्रजनन स्टाक द्वारा सूकर सावकों का उत्पादन किया जाता है। सूकर सावकों को कम आय वर्ग के सूकर पालकों को प्राथमिकता पर नीलामी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है ।
10. **वरिष्ठ शोध अधिकारी (पशुपोषण)**—चारा उत्पादन की मार्गदर्शक योजना के रूप में योजना 20प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी, इस योजना द्वारा किये जाने वाले कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा यू0एल0डी0बी0 को दिये जा चुके हैं, कार्यरत स्टाफ का वेतन आदि का आहरण परियोजना निदेशक, पशुलोक द्वारा किया जा रहा है ।
11. **रोग निदान प्रयोगशाला(भेड-बकरी)** प्रयोगशाला द्वारा प्रक्षेत्र पर पाले जा रहे पशुओं के रक्त, मूत्र तथा मैगनी आदि के परीक्षण के उपरान्त आवश्यक उपचार हेतु सलाह देना, तथा पर्वतीय क्षेत्रों जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में बीमारी फेलने की दशा में आउट ब्रेक अटैन्ड करना तथा आवश्यक सलाह देना था, इस प्रयोगशाला का विस्तार किया गया, वर्तमान में प्रयोगशाला में परीक्षणों की संख्या बढ़ाई गयी तथा बर्ड फ्लू से सम्बन्धित सैम्पलों का परीक्षण किये जाने हेतु बर्ड फ्लू प्रयोगशाला तैयार हो गयी है ।

20प्र0 शासन द्वारा स्थानीय विकास हेतु समय-समय पर 2146 एकड़ भूमि में से विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिये दी गयी भूमि का विवरण:—

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक का भूमि स्थिति पत्रक (एकड़ में) पशुलोक प्रक्षेत्र की स्थापना वर्ष 1954-55 में हुई थी, शासन के आदेशानुसार निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी गयी
शासनादेश संख्या 4792/दस/132-50/दिनांक 15.11.1954 द्वारा प्राप्त 2116 एकड़
शासनादेश संख्या 4070/दस/132-50/दिनांक 03.11.1955 द्वारा प्राप्त 30 एकड़

कुल योग

2146 एकड़

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल शासन के निर्देशानुसार निम्न विवरण के अनुसार उपरोक्त 2146 एकड़ भूमि में से अन्य निम्न विभागों को हस्तान्तरित करायी गयी भूमि का विवरण

वन विभाग द्वारा/कार्यालय अभिलेखों के आधार पर भूमि का विवरण

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गयी भूमि का विवरण

क्रम सं०	विभाग का नाम	आवंटित भूमि	विभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि	क्रम सं० 3 व 4 का योग
1	2	3	4	5
1.	हरिद्वार जल विद्युत परियोजना	128.470	88.099	216.569
2.	विद्युत परिषद	26.000	69.250	95.250
3.	नगर पालिका ऋषिकेश (सीवेज हेतु)	20.000	14.070	34.070
4.	आई०डी०पी०एल०	590.430	---	590.430
5.	पी०डब्लू०डी०	43.500	---	43.500
6.	किसान सहकारी समिति	40.000	---	40.000
7.	वन विभाग	14.500	---	14.500
	योग	862.900	171.419	1034.319

उत्तरांचल शासन द्वारा दी गयी भूमि का विवरण

1.	वन विभाग(मीरा बैन कुटिया	27.790	---	27.790
2.	पुर्नवास विभाग	680.00	4.692	684.692
3.	यू०एल०डी०बी० श्यामपुर	98.780	---	98.780
4.	यू०एल०डी०बी० मुख्य कैम्पस	1.500	0.750	2.250
5.	'एम्स' निर्माण हेतु	100.815	7.00	107.815
	योग-	908.885	12.442	921.327

	महा योग	1771.785	183.861	1955.646
--	---------	----------	---------	----------

विभाग के पास उपलब्ध भूमि का विवरण:-

क्रम सं०	अनुभाग का नाम	उपलब्ध भूमि का विवरण	अभियुक्ति
1.	मुख्य कैम्पस	13.000	उपयुक्त भूमि → 73.568 एकड
2.	निर्मल ब्लाक	39.500	
3.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	12.840	
4.	प०प्र०अ०पचिक्षण केन्द्र	4.770	
5.	'ए' बाग तिकोनिया	3.458	म० न्यायालय के विचाराधीन
6.	गंगा खादर	116.786	भूमि गंगा नदी में होने के कारण विभाग के लिये अनुपयोगी है ।
	कुल योग-	190.354	
	उ०प्र०शासन द्वारा दी गयी भूमि एकड में	—	1034.319
	उत्तरांचल शासन द्वारा दी गयी भूमि एकड	—	921.327
	विभाग के पास शेष भूमि एकड में	—	190.354
	कुल योग		2146.000

उपरोक्त विवरण कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तैयार किये गये हैं ।

9 नवम्बर 2000 में नवसृजित उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, उत्तरांचल शासन द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों के पुर्नवास हेतु पशुलोक प्रक्षेत्र की 2146 एकड भूमि में से 680 एकड भूमि पुर्नवास विभाग को दी गयी, तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य विकास हेतु अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त उत्तरांचल सरकार द्वारा 107 एकड भूमि "एम्स" हेतु पशुलोक प्रक्षेत्र की भूमि में से ही स्थानान्तरित करायी गयी, इस प्रकार पशुलोक प्रक्षेत्र पर पशुपालन विभाग की पूर्वस्थापित योजनायें भूमि की कमी के कारण प्रभावित हुई, फलतः उत्तरांचल शासन द्वारा पर्वतीय जनपदों के विकास को दृष्टि में रखते हुये निम्न योजनाओं को पर्वतीय जनपदों में पशुलोक में स्थापित योजनाओं के स्थानान्तरण के आदेश पारित किये :-

1. भेड विकास योजना - पर्वतीय जनपदों में -(उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग)
2. अश्व एवं गर्दभ प्रजनन इकाई- नरियालगांव- (चम्पावत)
3. ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला -डुन्डा- (उत्तरकाशी)

ऊन विशलेषण प्रयोगशाला की पुर्नस्थापना के आदेश शासन द्वारा दिये जाने के परिपालन में प्रयोगशाला की पुर्नस्थापना पशुलोक प्रक्षेत्र पर की गयी है ।

पशुलोक प्रक्षेत्र की शेष योजनाओं को अवशेष भूमि पर चालू रखने एवं पुर्नस्थापित करने हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 हेतु रू0 2.00 करोड, तथा दूसरी किस्त रू0 178.22 लाख आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये,निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है ।

मैनुअल संख्या – 2

प्रक्षेत्र पर कार्यरत / स्वीकृत पदों का विवरण
प्रक्षेत्र में विभागीय पदों एवं उनके समक्ष कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्नवत है :-

पदों का विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत
समूह-क	08	08
समूह-ख	15	05
समूह-ग	38	31
समूह-घ	45	70
योग –	106	114

प्रक्षेत्र पर विभागीय स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का पदवार विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
समूह क में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद				
1	परियाजना निदेशक 78800-209200-लेवल-12	01	01	—
2	संयुक्त निदेशक 78800-209200-लेवल-12	02	01	01
3	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 67700-208700-लेवल-11	05	05	—
योग समूह क		08	07	01
समूह ख में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद				
1	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 56100-177500-लेवल-10	12	03	09
2	ऊन विश्लेषण / प्रभारी अधिकारी 56100-177500-लेवल-10	01	01	—
3	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 56100-177500-लेवल-10	01	01	—
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 47600-151100- लेवल-8	01	—	01
योग समूह ख		15	05	10
समूह ग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद				

1	सहायक ऊन विश्लेषण अधिकारी 44900-142400-लेवल-7	01	01	—
2	अपर सांख्यिकी अधिकारी 44900-142400-लेवल-7	01	01	—
3	लेखाकार 35400-112400-लेवल-6	01	01	—
4	प्रधान सहायक 35400-112400-लेवल-6	04	01	03
5	ऊन विश्लेषक 35400-112400-लेवल-6	01	—	01
6	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक 35400-112400-लेवल-6	01	—	01
7	ज्येष्ठ प्रसार अधिकारी 44900-142400-लेवल-7	01	01	—
8	सहायक लेखाकार 29200-92300-लेवल-5	01	—	01
9	वरिष्ठ सहायक 29200-92300-लेवल-5	04	03	01
10	पशुधन प्रसार अधिकारी 35400-112400-लेवल-6	07	05	02
11	स्नातक सहायक 29200-92300-लेवल-5	02	—	02
12	प्लान्ट मैकेनिक (मृत संवर्ग) 29200-92300-लेवल-5	—	02	—
13	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 35400-112400-लेवल-6	01	01	—
14	प्रयोगशाला सहायक 29200-92300-लेवल-5	05	03	02
15	चारा सहायक 21700-69100-लेवल-3	01	—	01
16	कनिष्ठ सहायक 21700-69100-लेवल-3	05	04	01
17	कनिष्ठ सहायक (अधिसंख्यक) 21700-69100-लेवल-3	—	01	—
18	चालक (02 अधिसंख्यक) 19900-63200-लेवल-02	02	04	—
19	ट्रैक्टर आपरेटर (मृत संवर्ग) 19900-63200-लेवल-02	—	02	—

	योग समूह ग	38	30	15
समूह घ में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद				
1	फार्म मैकेनिक (मृत संवर्ग) 18000-56900-लेवल-01	—	01	—
2	ट्यूबवैल आपरेटर (मृत संवर्ग) 18000-56900-लेवल-01	—	05	—
3	बढ़ई / कारपेन्टर 18000-56900-लेवल-01	01	01	—
4	पम्प ड्राइवर 18000-56900-लेवल-01	02	02	—
5	अनुसेवक कार्यालय 18000-56900-लेवल-01	02	02	—
6	अनुसेवक पशुधन प्रक्षेत्र 18000-56900-लेवल-01	10	24	—
7	दफ्तरी 18000-56900-लेवल-01	01	01	—
8	प्रयोगशाला परिचर 18000-56900-लेवल-01	06	11	—
9	पशुधन सहायक कुक्कुट 18000-56900-लेवल-01	06	12	—
10	पशुधन सहायक डी0एफ0एस0 18000-56900-लेवल-01	15	09	—
11	सीमन परिचर 18000-56900-लेवल-01	02	02	—
	योग समूह घ (19 अधिसंख्यक)	45	70	

मैनुअल संख्या-3

विभागीय संरचना का विवरण

प्रदेश स्तर पर योजना से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अनुश्रवण एवं प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों का शत प्रतिशत आपूर्ति करना जनपद/मण्डल स्तर की कठिनाईयों को त्वरित निराकरण मण्डल स्तर /परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त जनपदों में योजना एवं कार्य पर नियन्त्रण/अनुश्रवण पौड़ी	निदेशक अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल अपर निदेशक, कुमायू मण्डल
नैनीताल	अपर निदेशक, पशुधन गोपेश्वर संयुक्त निदेशक/मुख्य
जनपद स्तर पर पशुचिकित्साधिकारी विकास खण्ड स्तर पर न्याय पंचायत स्तर पर अधिकारी	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार
बोर्ड/परिषद	
1- उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद मुख्यालय देहरादून	मुख्य अधिशासी अधिकारी
2- उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड	मुख्य अधिशासी अधिकारी
3- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड राज्य परिषद	सचिव पशु कल्याण बोर्ड के अधीन चल रहे सभी योजना के प्रति उत्तरदायित्व
4- उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद के	रजिस्ट्रार सम्पूर्ण राज्य अधीन चल रही सभी योजनाओं के प्रति उत्तरदायित्व

मैनुअल संख्या-4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक/नियम

पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र पर
द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2016-17

क्रम सं०	परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	टिप्पणी
1.	परीक्षा पन्तनगर विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी है	प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान किया वर्तमान में 98 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिनमें 73 पुरुष एवं 25 महिला प्रशिक्षार्थी हैं।

**रोग निदान प्रयोगशाला, पशुलोक का तीन वर्षों का वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन**

वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1	फीकल परीक्षण	6091	5273	5414
2	मोरबिड टिशू	29	22	93
3	संस्टिविटी / कल्चर	—	00	203
4	यूरिन परीक्षण	230	211	234
5	रक्त / सीरम	4573	728	789
6	जोनिन परीक्षण	06	00	00
7	ट्यूबरकुलीन परीक्षण	13	17	13
8	मैस्टाईटिस परीक्षण	91	173	195
9	आउट ब्रेक		00	20
10	पोस्ट मार्टम	26	22	93
11	बाह्य परजीवी परीक्षण		00	1530
12	बर्डफ्लू सैम्पल		00	490
13	अन्य प्रयोगशालाओं को भेजे गये सैम्पल		00	1548
14	बायो कैमैस्ट्री	339	715	1568
15	ब्रूसेलोसिस परीक्षण	1074	100	926

16	लिकोग्राम	---	3144	784
17	हिमोग्राम	---	4716	784
	योग-	16347	18287	14684

**ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला का वर्ष 2014-15, 2015-16
एवं 2016-17 का तुलनात्मक प्रगति विवरण**

क्रम सं०	कार्य विवरण	वार्षिक लक्ष्य	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	ऊन के नमूनों का संचय		1306	1134	902
	योग		1306	1134	902
2.	ऊन के नमूनों का विश्लेष		782	859	892
	योग		782	859	892

सूकर प्रजनन अनुभाग, श्यामपुर-पशुलोक की वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 का तुलनात्मक प्रगति का विवरण

क्रम सं०	कार्य विवरण	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	नर प्रजनन योग्य	02	—	04
2.	मादा प्रजनन योग्य	22	8	24
3.	नर शावक	—	—	10
4.	मादा शावक	—	—	11
	योग :-	24	08	49
5.	वर्ष में नीलामी से प्राप्त आय	3,90,199.00	1,19,162.00	3,59,450.00
6.	आहार की लागत रुपये में			5,19,378.00

राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक का प्रगति विवरण
वर्ष 2016-17

क्र०सं०	विवरण	स्वीकृत		योग	वर्तमान		योग
		नर	मादा		नर	मादा	
1	क्रायलर / चैब्रो	600	4000	4600	578	4463	5041
2	कड़कनाथ	30	200	230	30	190	220
3	गिनी फाउल	100		100			
4	बटेर	500		500			

पशुधन अनुसंधान उपकेन्द्र (एल0आर0एस0) पशुलोक का वार्षिक प्रगति
प्रतिवेदन वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17

क्रम सं०	विवरण	विश्लेषित नमूने 2013-14	विश्लेषित नमूने 2014-15	विश्लेषित नमूने 2015-16
1.	विभिन्न प्रकार के नमूनों का परीक्षण	129	135	136

प्रगति विवरण डेरी अनुभाग पशुलोक वर्ष 2014-15 एवं 2015-16

क्रम सं०	पशुओं का विवरण	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	दूध में गाय	16	20
3	सूखी गाय	05	08
4	प्रशिक्षण हेतु गाय	03	03
5	औसर	03	12
6	मादा बच्चे	07	12
7	सांड	02	15
8	नर बच्चे	00	06
	योग :-	36	76
	राजस्व प्राप्ति	—	12,36,205.00

मदनाम	आवंटन वर्ष 2016-17	क्रमिक व्यय
1	2	3
2403-पशुपालन आयोजनेत्तर 00-106-03- राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र		
01-वेतन	4359000	4256756
03-मंहगाई भत्ता	3453000	3423431
04-यात्रा भत्ता	2200	2194
05-स्था0यात्रा भत्ता	----	----
06-अन्य भत्ता	160000	159934
योग:- अधिष्ठान	7974200	7842315
07-मानदेय	3250	3250
08-कार्यालय व्यय	30000	30000
09-विद्युत	80000	80000
10-जलकर	2000	894
11-लेखन सामग्री	33000	32998
12-कार्यालय फर्नीचर	35000	35000
13-टेलीफोन	15000	15000
15-मोटर गाडी	150000	149964
26-मशीन सा0स0	100000	100000
27-चिकि0 प्रति पूर्ति	203000	101791
29-अनुरक्षण	50000	50000
31-सामग्री सम्पूर्ति	600000	600000
39-औषधि रसायन	13000	13000
42-अन्य व्यय	45000	45000
44-प्रशिक्षण व्यय	---	---
46-कम्प्यूटर क्रय	50000	50000
47-कम्प्यूटर स्टेशनरी	15000	14992
योग:-आकमिक व्यय	1541250	143889
महायोग :-	9515450	9281204
2403-पशुपालन आयोजनागत 00-102-06-00- व्यवहारिक प्रशिक्षण डेयरी यूनिट की स्थापना 42-अन्य व्यय	1200000	1199986

मदनाम	आवंटन वर्ष 2016-17	क्रमिक व्यय
1	2	3
2403-पशुपालन आयोजनेत्तर 00-001-03- निदेशन तथा प्रशासन		
01-वेतन	26654000	26207244
03-मंहगाई भत्ता	24700000	20881959
04-यात्रा भत्ता	100000	88096
05-स्था0यात्रा भत्ता	20000	11725
06-अन्य भत्ता	737000	737000
योग:- अधिष्ठान	52211000	47926024
07-मानदेय	---	---
08-कार्यालय व्यय	217000	216983
09-विद्युत	142483	136070
10-जलकर	---	---
11-लेखन सामग्री	16000	15997
12-कार्यालय फर्नीचर	---	---
13-टेलीफोन	40000	39414
15-मोटर गाडी	125000	125000
16-व्याव0वि0से0	30000	29906
19-विज्ञापन	---	---
25-लघु निर्माण	---	---
26-मशीन सा0स0	60000	60000
27-चिकि0 प्रति पूर्ति	370000	308068
29-अनुरक्षण	125000	125000
31-सामग्री सम्पूर्ति	450000	450000
39-औषधि रसायन	150000	150000
42-अन्य व्यय	15000	14970
44-प्रशिक्षण व्यय	---	---
46-कम्प्यूटर क्रय	---	---
47-कम्प्यूटर स्टेशनरी	18000	18000
योग:-आकमिक व्यय	1740483	1689408
महायोग :-	53951483	49615432

मैनुअल-5

नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

मैनुअल-6

ऐसे दस्तावेजों के जो लोक प्राधिकारी द्वारा
धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों के
अनुसार विवरण

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून । पर रखे जाने वाले अभिलेख
2	अनुसंधान अनुभाग रोग निदान प्रयोगशाला
3	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला
4	मुख्य तकनीकी अधिकारी क्षेत्र० अनुसंधान उपकेन्द्र
5	अतिहिमीकृतवीर्य उत्पादन केन्द्र पर उपलब्ध पंजीकार्ये

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,

पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून ।

पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

लेखा अनुभाग

1. बजट पंजिका
2. 11-सी रजिस्टर
3. ट्रैजरी गार्ड रजिस्टर
4. केश बुक
5. भुगतान पंजिका (नकद/चैक)
6. ट्रैजरी से प्राप्त चैक पंजिका
7. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक पंजिका
8. रिसीट रजिस्टर (स्टेट बैंक से भुगतान)
9. ट्रैजरी चालान पंजिका
10. बाहर से प्राप्त होने वाले बैंक ड्राफ्ट की पंजिका
11. एस0पी0एस0 पंजिका
12. सिक्कूरिटी प्रति भूति पंजिका
13. एस्कोर्ट ड्यूटी पंजिका
14. पैरावेट पंजिका/पेल्ट्री पंजिका
15. पोल्ट्री की आय व्यय पंजिका
16. विलेज पोल्ट्री की आय रिसीट पंजिका
17. केश की डुप्पिकेट चाबियों की पंजिका
18. रसीद बुक
19. केश बुक विलेज पोल्ट्री
20. बाहर भेजे जाने वाले बैंक ड्राफ्टों की पंजिका
21. वेतन सम्बन्धित पंजिका
22. सामान्य पत्र व्यवहार
23. राष्ट्रीय बचत पत्रावली
24. नान पैमेन्ट पंजिका
25. बाउचर्स पंजिका
26. पी0आर0डी0 पंजिका
27. मासिक आय विवरण पंजिका
27. बी0एम0-8 पंजिका

28. व्यय मिलान, महालेखाकार से सम्बन्धित

लेखा दो

1. कन्टी0 बिल रजिस्टर नाम प्लान योजना (निदेशन तथा प्रशासन योजना)
2. कन्टी0 बिल रजिस्टर नाम प्लान योजना (पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र नाम प्लान योजना)
3. कन्टी0 का आइविलिटी रजिस्टर
4. कन्टी0 बिल रजिस्टर प्लान योजना (1)पशुकल्याण बोर्ड (2)आर0पी0 योजना
5. टी0ए0 चैक रजिस्टर
6. टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर नान प्लान योजना (1)निदेशन तथा प्रशासन योजना (2)पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र नान पटल
7. टी0ए0 कन्टोज रजिस्टर प्लान योजना (पशु कल्याण बोर्ड)
8. यात्रा स्वीकृति रजिस्टर
9. कन्वेस रजिस्टर
10. जी0पी0एफ लेजर क्लास 4
11. जी0पी0एफ लेजर सुनिरियर
12. जी0पी0एफ बिल रजिस्टर
13. वेतन बिल रजिस्टर 2403-पशुपालन आयोजनेत्तर निदेशक/प्रशा

14. वेतन बिल रजिस्टर 2402-पशुपालन आयोजनेत्तर राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र
15. वेतन बिल रजिस्टर 2403-पशुपालन आयोजनेत्तर निदेशक / प्रशासन (न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त दैनिक श्रमिको का न्यूनतम वेतन सम्बन्धी)
16. डाक रजिस्टर (वेतन पटल)

स्थापना अनुभाग

1. स्थापना सम्बन्धी रजिस्टर
2. वार्षिक वेतन वृद्धि रजिस्टर
3. चिकित्सा व्यय प्रति पूर्ति सम्बन्धी रजिस्टर
4. स्थयीकरण रजिस्टर
5. कोर्ट केस से सम्बन्धी रजिस्टर
6. कोर्ट केस के बिल से सम्बन्धी रजिस्टर
7. वेतनमान रू0 3050-4590 से 10,000-15,200 तक के प्रक्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारियो/अधिकारियो की सेवा पुस्तिका
8. वेतनमान रू0 3050-4590 से 10,000-15,200 तक के कर्मचारियो/अधिकारियो की व्यक्तिगत पत्रावली
9. स्वीकृति रजिस्टर
10. विधुत पंजिका बिल
11. विधुत रिकार्ड पंजिका
12. फाईल हयुवल एल.आर.एस. 2120/9533
13. फाईल हयुवल 40-2120/9525
14. स्टाक बुक
15. स्टाक
16. विधुत सामग्री
17. डीजल/लुब्रीकेंट
18. लेखन सामग्री
19. उर्वरक खाद
20. आहार बिल भुगतान
21. व्यपार कर डी फार्म
22. जीप यू0ए0डब्ल्यू 9187
23. ट्रेक्टर इम्पलीमेंट/मरम्त
24. पर्वतीय वाहन पत्रावली
25. अनुपयोगी समान निस्तारण
26. आवासीय भवनो की मरम्त
27. आडिट आपत्ति निस्तारण
28. शासन द्वारा दवा आपूर्ति आदेश
29. ट्रक सं0 यु0टी0एस 9534 की पत्रावली (गुणा वर्कशाप)
30. मै0 गुणा वर्कशाप बनाम उपनिदेशक
31. मै0 गुणा वर्कशाप बनाम उपनिदेशक
32. मै0 गुणा वर्कशाप 196/01 अपर जिला जज अपीलार्थी (उच्च न्यायालय)
33. औषधि बिल
34. पशुकल्याण बोर्ड
35. कय बाटन सामान्य पत्रावली
36. कय फोटो स्टेट
37. मिसलेनियस पत्रावली
38. पुताई/आवास मरम्त
39. स्टोर पत्रावली
40. फार्म प्रोडयूस पत्रावली
41. भण्डार लेखा पत्रावली
42. विविध भण्डार पत्रावली
43. कन्ज्यूवेवल पंजिका (डी-11)
44. डैड स्टाक - डी-52
45. औषधि पंजिका
46. फार्म प्रोडयूस पंजिका
47. स्पेयर पार्ट्स पंजिका
48. आहार पंजिका अश्व-मुर्गी
49. भेड सूकर पशु आहार पंजिका
50. डयूज पंजिका
51. डी-2 इश्यू पंजिका

52. टाइम राइटर पंजिका
53. भवनो की इन्वेन्ट्री पंजिका

स्थापना

1. उपरोक्त वेतन मानो की पेंशन स्वीकृत पंजिका
2. उपरोक्त वेतन मानो से सम्बन्धित वेतन वृद्धि पंजिका
3. आक्समिक अवकाश पंजिका
4. जी0आई0एस0 भुगतान पंजिका
1. वीडिंग पंजिका
2. रजिस्टर आफ रजिस्टर
3. लेखन सामग्री वितरण पंजिका
4. बिजली के उपकरण पंजिका
5. फोटो स्टेट मशीन लॉग बुक
6. इलैक्ट्रॉनिक टाईप राइटर लॉग बुक
7. टेलीफोन लॉग बुक
8. कम्प्यूटर लॉग बुक
9. फैक्स लॉग बुक
10. डिस्पैच रजिस्टर
11. रिसीट रजिस्टर
12. पशुलोक डाक पंजिका
13. श्यामपुर डाक पंजिका
14. लोकल डाक पंजिका नाम से
15. एस0पी0एस0 रजिस्टर
16. उपस्थिति पंजिका
17. उपचार पंजिका
18. डेली ईसू पंजिका
19. औषधि पंजिका
20. कन्जुमेविल पंजिका
21. पत्र प्रेषण पंजिका
22. एम0पी0आर0 पंजिका
23. सूकर वितरण / नीलामी पंजिका
24. फ़ैरोईंग पंजिका
25. सूकर शावक विवरण पंजिका
26. सूकर आहार मांग पंजिका
27. बिल पंजिका
28. डेड आरटीकल पंजिका
29. औजार पंजिका
30. दाना पंजिका
31. पशुओ की दैनिक विवरण पंजिका
32. ड्रेचिंग / वैक्सीनेशन पंजिका
33. पशुधन मृत्यु पंजिका
34. ब्रीडिंग स्टाफ पंजिका
35. जनरल स्टॉक बुक
36. डाक प्राप्ति बुक
37. जी0पी0एफ इन्डैक्स रजिस्टर
38. कन्टीनेन्ट बिल रजिस्टर
39. डेड स्टाक बुक रजिस्टर
40. विधुत बिल रजिस्टर(पुराने भवन)
41. विधुत बिल रजिस्टर(नवीन भवन)
42. यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर
43. कन्जुमे बिल रजिस्टर
44. स्टेशनरी रजिस्टर
45. रिपेयर रजिस्टर
46. असैटस रजिस्टर
47. इन्क्रीमैन्ट रजिस्टर

48. छात्रावास मे छात्रो हेतु विविध समान रजिस्टर
49. अधिकारियो एवं कर्मचारियो के कार्यालय का रजिस्टर
50. जमानत का रजिस्टर
51. ड्राफ्ट का रजिस्टर
52. नकदीकरण स्वीकृति पंजिका
53. प्रगति पंजिका
54. बीडिंग पंजिका
55. जी०पी०एफ चतुर्थ श्रेणी
56. जी०पी०एफ तृतीय श्रेणी
57. वेतन पंजिका
58. डिस्पेच रजिस्टर
59. रिसीट रजिस्टर
60. एस०पी०एस० रजिस्टर
61. बी०एम०एस० रजिस्टर
62. केश बुक रजिस्टर
63. स्वीकृति रजिस्टर
64. कर्मचारियों कि उपस्थिति पंजिका रजिस्टर
65. छात्रो कि उपस्थिति पंजिका रजिस्टर
67. प्रशिक्षार्थियों कि हास्टल उपस्थिति पंजिका रजिस्टर

पशुधन अनुभाग

1. उपस्थिति पंजिका
2. डाक पंजिका
3. कन्टीजेन्ट पंजिका
4. स्टोक बुक औषधि पंजिका
5. स्टोक बुक लाइव स्टोक, अश्व, गर्दभ, खच्चर पंजिका
6. स्टोक बुक डयड स्टोक आरटिकिलस
7. डेली ईसू पंजिका
8. चुआन पंजिका
9. रात्रि चौकीदार पंजिका
10. प्रतिकर पंजिका
11. हरा चारा पंजिका (डेली ईसू)
12. स्टोक बुक पंजिका
13. स्टोक बुक पंजिका (जई, भुसा)
14. खाद पंजिका
15. दवापान व टीकाकरण पंजिका
16. अनुभाग प्रगति पंजिका
17. बैलो का विवरण पंजिका
18. घोडा प्रजनन पंजिका
19. खच्चर प्रजनन पंजिका
20. गधा प्रजनन पंजिका
21. सूम बनवाई पंजिका
22. स्टोक ड्यूटी पंजिका
23. पशु उपस्थिति पंजिका
24. चिकित्सा पंजिका
25. कोजरिंग पंजिका
26. उम्र पंजिका
27. अश्व आहार पंजिका
28. दाना स्वीकृति पंजिका
29. अनुभाग कार्यालय आदेश पंजिका
30. अनुमोदन / स्वीकृति पंजिका
31. भवन पंजिका
32. रजिस्टर आफ फाइल / रजिस्टर
33. स्थापना उपस्थिति पंजिका
34. मसिक श्रमिक उपस्थिति पंजिका
35. दैनिक श्रमिक उपस्थिति पंजिका
36. चौकीदारी डियुटी पंजिका
37. एलोकेशन पंजिका (डी 33)

38. डी0 34 पंजिका
39. मौसम पंजिका
40. बुवाई पंजिका
41. चारा उत्पादन पंजिका
42. चारा वितरण पंजिका
43. डैड स्टॉक पंजिका
44. प्रदीर्घ पंजिका
45. पाक्षिक प्रतिवेदन पंजिका
46. मासिक प्रगति प्रतिवेदन पंजिका
47. कम्पोस्ट खाद पंजिका
48. लकडी पंजिका
49. पेड पौधे पंजिका
50. सिचाई पंजिका
51. इन्डेज पंजिका
52. निर्देश पंजिका
53. सामान्य सूचना पंजिका
54. घास जड पंजिका
55. आकस्मिक सूचना पंजिका
56. डाक डिस्पैच पंजिका
57. नलकूप लागबुक
58. ट्रेक्टरों की लाग बुक
59. स्टॉक बुक
60. ट्रेक्टर आपरेटर पंजिका
61. इन्डेन बुक रजिस्टर
62. स्वीकृति रजिस्टर
63. बैल्लिग रजिस्टर
64. इम्पलीमेन्ट मशीन मरम्मत रजिस्टर
65. काला तेल रजिस्टर
66. डियुटी रजिस्टर
68. पुराने पाटस रजिस्टर
69. नीलाम रजिस्टर
70. प्रगति रजिस्टर
71. सर्वे रिपोर्ट रजिस्टर
72. नीलाम स्वीकृति रजिस्टर
73. चूजा पूर्ति
74. सामान्य पत्र व्यवहार
75. मासिक प्रगति प्रतिवेदन
76. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
77. सर्वे रिपोर्ट पत्रावली
78. कलिंग
79. अनुपयोगी पशुओं की नीलामी
80. सर्वे रिपोर्ट
81. सर्वे रिपोर्ट पत्र व्यवहार
82. अश्व गर्दभों का निस्तारण
83. अश्व अनुभाग का स्थानान्तरण
84. सर्वे रिपोर्ट
85. डी0ओ0सी0 स्टाफ रजिस्टर
86. सुदृणीकरण रजिस्टर
87. सैन्य एरियर तथा कल्प पछी रजिस्टर
88. खाद पंजिका
89. सेनी पंजिका
90. ऐडवांस रजिस्टर
91. डाक रजिस्टर
92. डाक टिकट रजिस्टर
93. फीड रजिस्टर
94. खाली बोरी रजिस्टर
95. वैक्सीन रजिस्टर
96. पोस्ट मार्टम रजिस्टर
97. स्वीकृति रजिस्टर
98. कैश पंजिका

99. एक दिवसीय चूजे वितरण पंजिका
 100. अण्डा उत्पादन-1
 101. अण्डा उत्पादन-2

कृषि अनुभाग में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमसं०	फा० न०	विषय
1.	गौधाम	वाद सं० 620/02 श्री गौमाता सर्वजीव समिति
2.	अतिक्रमण	वाद सं० 90 से 104 के कोट केस बनाम सरकार
3.	अतिक्रमण	वाद सं० 52001 श्री छोटे लाल बनाम सरकार
4.	02	मीरा बहन से सम्बन्धित पत्रावली
5.	—	ट्रैक्टरों की प्रगति
6.	05	हरा चारा से सम्बन्धित
7.	—	आई०डी० पी० एल को भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित
8.	04	क्रोपिंग प्रोग्राम से सम्बन्धित
9.	20	मासिक प्रगति प्रतिवेदन कृषि पशुलोक
10.	01	वृक्षारोपण से सम्बन्धित
11.	12	आगन्तुक पत्रावली
12.	19	पायेलट प्रोजेक्ट
13.	—	अतिक्रमण बाग से सम्बन्धित
14.	17	कांजी हाऊस से सम्बन्धित
15.	—	मीरा बहन कुटिया क्षेत्र की भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित
16.	07	अवशेष धनराशि से सम्बन्धित
17.	38	बीज प्रमाणीकरण से सम्बन्धित
18.	47	मासिक प्रगति कालसी
19.	10	गुलरानी नहर से सम्बन्धित
20.	32	सिचाई विभाग बैराज से सम्बन्धित
21.	I, II	एम्स को दी गई भूमि से सम्बन्धित

22.	I, I, I, I, I	टिहरी वि० को दी गई 680 एकड़ भूमि से सम्बन्धित
23.	I, I	680 एकड़ भूमि पर विद्यमान औटर्सों के सम्बन्धित
24.	—	आडिट पैरा से सम्बन्धित
25.	II	2146 एकड़ भूमि से सम्बन्धित पत्रावली
26.	—	कृषि भूमि अतिक्रमण
27.	—	यु०एल०डी०बी० से सम्बन्धित
28.	31	प्रकृतिक प्रकोप
29.	06	अन्तिम आकडा रिपोर्ट
30.	—	कृषि विभाग में लोहे के खम्बे चोरी
31.	02	सामान्य पत्रावली
32.	—	संघर्ष समिति फाइल
33.	—	मानचित्रों की पत्रावली
34.	—	भूमि से सम्बन्धित शिकायत फाइल
35.	—	भुति रजिस्टर नयाएक

अनुसंधान अनुभाग

रोग निदान प्रयोगशाला

1. प्रयोगशाला एम०पी०आर रजिस्टर
2. फीकल सैम्पल रजिस्टर
3. डेड स्टॉक बुक
4. ग्लास केयर स्टॉक बुक
5. केमिकल स्टॉक बुक
6. मिसलीनियस स्टॉक बुक
7. बुक्स स्टॉफ बुक
8. आई०वी०आर०आई पत्रावली
9. सूकर अनुभाग पत्रामली
10. अश्व गर्दभ अनुभाग पत्रावली
11. टेकनीकल सरकुलर पत्रावली
12. उत्तरांचल में पशुओं में बीमारी पत्रावली
13. स्टोर एकाउन्ट पत्रावली
14. एन्टीजन/वैक्सीन पत्रावली
15. एम०पी०आर पत्रावली
16. भेड एवं ऊन प्रसार केन्द्र देहरादून
17. कुक्कुट प्रक्षेत्र पत्रावली
18. वैक्सीन गाइड फाइल
19. उपस्थिति पंजिका
20. स्टॉफ की जी०पी०एफ० पुस्तिका

21. स्टाफ की सर्विस बुक
22. वैयक्तिक पत्रावलियां
23. जी०पी०एफ० लेजर
24. डिस्पेच पंजिका
25. एस०पी०एस० पंजिका
26. नीलामी पंजिका
27. वार्षिक वेतन वृद्धि पंजिका
28. विविध कय पत्रावली
29. याजना पत्रावली
30. सामान्य पत्रावली
31. स्टेशनरी पंजिका
32. कम्प्यूटर पंजिका
33. कम्प्यूटर पत्रावली
34. प्रयोगशाला के भवन निर्माण की पत्रावली

ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला

स्टाक बुक व अभिलेख (क०सं० 1से 9 तक रजिस्टर) (क०सं० 10 से 22 तक फाईल)

1. फलीस टेस्टिंग (डैड स्टाक)
2. स्टेट वूल स्कीम (डैड स्टाक)
3. नॉन प्लान स्टाक बुक
4. बिल पंजिका
5. दैनिक सामान प्रयोग हेतु स्वीकृति पंजिका
6. उपस्थिति पंजिका
7. ऊन प्रतिदर्शी संचय अभिलेख
8. रिकार्ड रजिस्टर
9. डाक पंजिका
10. पत्र प्राप्ति फाईल
11. उपस्थिति सूचना
12. फार्मो की सूचना भेजने सम्बन्धित
13. फार्मो से ऊन प्रतिदर्शी संचय करना सम्बन्धि सूचना
14. भौतिका सत्यापन अभिलेख
15. उपकरण सुधीर
16. डुण्डा स्थानान्तरण फाईल
17. मासिक प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट
18. अदेयता प्रमाण पत्र संबंधी
19. मांग फाईल
20. मीटिंग फाईल
21. लेखा बजट (आय-व्यय)
22. महत्वपूर्ण रिपोर्ट संबंधी

मुख्य तकनीकी अधिकारी क्षे०प० अनुसंधान उपकेन्द्र

1. कैश बुक -एल०आर०एस सम्बन्धी
2. कैश रसीद-एल०आर०एस सम्बन्धी
3. भुगतान प्राप्ति -एल०आर०एस सम्बन्धी
4. रजिस्टर आफ बैंक ड्रापट -एल०आर०एस० सम्बन्धी
5. स्वीकृति रजिस्टर(एस०आर०ओ)
6. स्वीकृति रजिस्टर(सी०टी०ओ०)
7. उपस्थिति पंजिका(सी०टी०ओ०)
8. उपस्थिति पंजिका(एस०आर०ओ०)
9. वार्षिक वेतन वृद्धि रजिस्टर
10. आक्समिक अवकाश रजिस्टर
11. जी०पी०एफ लेजर-सुपिरियल क्लास
12. जी०पी०एफ लेजर-चतुर्थ श्रेणी
13. स्टाक बुक आफ रजिस्टर(187एन०ओ०)

14. शिकायत पंजिका
 15. आर0आर0रजिस्टर(9)
 16. स्टाक बुक आफ लाईब्रेरी बुक(71)
 17. स्टाक बुक आफ डेड एण्ड पेंरीसेबिल(163)
 18. स्टाक बुक आफ परचेज लिटलेचर(201)
 19. सिकयोरिटी रजिस्टर
 20. जी0ओ0 रजिस्टर
 21. स्थापना इनवेन्टरी रजिस्टर
- जीप सं0 यु0ए0डब्लु-9195 से सम्बन्धित रजिस्टर एवं फाईल सुची**

1. स्वीकृति रजिस्टर-एक
2. रिपेयर रजिस्टर-एक
3. डीजल रजिस्टर-एक
4. जीप मांग एवं स्वीकृति रजिस्टर-एक
5. लॉग बुक-एक
6. रजिस्ट्रेशन बुक-एक
7. जीप सम्बन्धित पत्रावली(पायलट-12)-एक

प्रयोगशाला एवं स्टोर से सम्बन्धित रजिस्टर

1. डैड आरटीकल स्टाक बुक 241
2. स्टेशनरी स्टाक बुक 56
3. इलेक्ट्रीकल स्टाक बुक 285
4. कन्जूमविल स्टाक बुक 284
5. केमीकल्स स्टाक बुक 78
6. पेंरीशेवील स्टाक बुक 77
7. सैम्पलरिसीव स्टाक बुक 260
8. रासायनिक विश्लेषण रजिस्टर 291
9. स्टेशनरी इनडेन्ट रजिस्टर 20
10. कन्जूमविल इनडेन्ट रजिस्टर 290
11. इलेक्ट्रिक पावर बिल रजिस्टर 202
12. जनरेटर चलाने सम्बन्धी रजिस्टर 263
13. ब्रेकेज रजिस्टर 133
14. ब्रेकेज एवं डिस्पोजल रजिस्टर 289
15. पायलेट प्रोजेक्ट डेड एक्पेरीशेविल स्टाक बुक 250

जेनेटीकस प्रयोगशाला से सम्बन्धी स्टाक बुक

1. डैड एवं पेरीरोविल स्टाक बुक 287
2. डैड एवं पेरीरोविल स्टाक बुक 221
3. डैड एवं पेरीरोविल स्टाक बुक पशुपोषण प्रयोगशाला 159

कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख का विवरण

1. डिस्पैच रजिस्टर
2. रिसीट रजिस्टर
3. वेतन पंजिका(एस0एल0ए0जी0)2403-106-03 आयोजनेत्तर
4. वेतन पंजिका(निदेशालय तथा प्रशासन)2403-001-03 आयोजनेत्तर
5. व्यय विवरण रजिस्टर(बी0एम0 8)
6. यात्रा स्वीकृति रजिस्टर
7. यात्रा बिल रजिस्टर अधिकारी/कर्मचारियो का यात्रा विवरण
8. यात्रा बिल रजिस्टर प्राप्त बिल आहारण स्वीकृति रजिस्टर
9. लाई विलिटी रजिस्टर कय सम्बन्धी वाउचर विवरण पंजिका
10. जी0पी0एफ एडवास रजिस्टर

11. सामान्य बीमा योजना रजिस्टर
12. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रजिस्टर
13. कोयला बिल आहारण/वितरण रजिस्टर
14. वेतन बिल (संविदा) रजिस्टर
15. आक्समिक देयक प्रपत्र रजिस्टर (2403-001-03)
16. आक्समिक देयक प्रपत्र रजिस्टर (2403-106-03)
17. साइकिल रजिस्टर
18. सर्विस पोस्ट रजिस्टर
19. टाईप राईटर रजिस्टर(बिल विवरण पंजिका)
20. रजिस्टरो का रजिस्टर
21. डाक पैड दो (सी0टी0ओ0(ए0एन0)एस0आर0ओ0(ए0एन0))
22. आयकर कटौती पत्रावली
79. वेतन मांग पत्रावली
80. वेतन मांग पत्रावली
81. सेवा निवृत्त/मृत्यु उपरान्त सामान्य भविष्य निधि पत्रावली
82. भौतिक सत्यापन पत्रावली
83. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली
84. शोध कार्यो से सम्बन्धी पत्रावली
85. टेलीफोन से सम्बन्धी पत्रावली
86. इलैक्ट्रानिक टाईपराईटर रजिस्टर
87. स्टाक बुक डैड आरटिकलस पेरोसैविल आर्टिकल रजिस्टर
88. मोदी जिरौक्स फोटो स्टेट रजिस्टर

अतिहिमीकृतवीर्य उत्पादन केन्द्र पर उपलब्ध पंजिकायें

1. वेतन बिल
2. कन्टी जेन्ट
3. लाईबिलिटी
4. यात्रा बिल
5. यात्रा चैक
6. जी0पी0एफ
7. जी0पी0एफ लेजर चतुर्थ श्रेणी
8. जी0पी0एफ लेजर सुपिरियर
9. केश रसीद
10. केश बुक
11. भुगतान पंजिका
12. एस0पी0एस0 पंजिका
13. डाक वितरण पंजिका
14. डिस्पैच/रिसीड पंजिका
15. रजिस्टर आफ रजिस्टर
16. स्टेशनरी पंजिका

17. वार्षिक वेतन वृद्धि
18. सेन्ट्रल स्टॉक बुक
19. टेन्डर फार्म बिक्री पंजिका
20. चिकित्सा व्यय प्रतिपुर्ति
21. बजट
22. यात्रा स्वीकृति
23. टेलीफोन

मैनुअल-7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसे प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	मण्डल एवं जनपद स्तरों पर योजना चलायी जा रही है अपर निदेशालय के मैनुअल में

मण्डल एवं जनपद स्तर
पर चलायी जा रही
योजनाओं का समावेश
निदेशालय एवं जनपद
स्तर के मैनुअलों में
उपलब्ध है, इस केन्द्र पर
यह व्यवस्था नहीं है ।

मैनुअल-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिसमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके मानस्वरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रायोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुच होगी ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	पशुपालन विभाग में बोर्डों का गठन
2	उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड
3	उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड
4	उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण बोर्ड
5.	गो सेवा आयोग

उत्तरांचल शासन द्वारा पशुधन विकास हेतु निम्न बोर्ड गठित किये गये हैं :-

1. उत्तराखण्ड लाईव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड
2. उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट बोर्ड
3. उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण बोर्ड
4. गो सेवा आयोग

जनता के अवलोकनार्थ एवं जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रत्येक परिषदों पर लोक सूचना अधिकारी नामित है और उनके द्वारा अपने परिषदों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके स्तर से सम्पादित की जायेगी

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

(UTTARAKHAND LIVESTOCK DEVELOPMENT BOARD)

उद्देश्य : सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन/नस्ल सुधार एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बना कर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना।

परिचय :

- स्थापना — जुलाई 2002
- मुख्यालय — 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
- पंजीकरण संख्या — 343 दिनांक 27.06.2001
(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।
- प्रायोजक — भारत सरकार की राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन परियोजना।
- लागत — 607.8 लाख रुपये।

संचालित कार्यक्रम :

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम—आई0एस0ओ0 प्रमाणित केन्द्र द्वारा उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन कर कृत्रिम गर्भाधान इकाइयों को वितरित करना।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम—पशुपालक के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/पैरावेटस/इकाइयों को अतिहिमीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य इनपुटस आदि की निरन्तर नियमित अन्तराल पर आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।
- नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम—पशुपालन विभाग एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों आदि की संस्तुति के अनुसार पर्वतीय जनपदों के पशुपालकों

को दरिन्दा पद्धति पर उच्च गुणवत्ता वाले गाय एवं भैंसा सांडों की आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम—पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उत्तरांचल लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण करवाना।
- भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम—पशुपालक के द्वार पर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा उच्चतम गुणवत्ता के पशुओं का उत्पादन करना।
- फील्ड परफार्मेंस रिकार्डिंग कार्यक्रम—पशुपालकों के उत्तम दुधारु पशुओं (गाय एवं भैंस) की सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार मिल्क रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय-विक्रय में सुविधा प्रदान करके पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके।
- **चारा विकास कार्यक्रम :**
- प्रत्येक पर्वतीय जनपद में चयनित वन पंचायतों में बहुवर्षीय अल्पाइन चारा घासों, नैपियर तथा गुणी घासों आदि के प्रदर्शन एवं वितरण हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का विकास करना।
- भूसा तथा पुआल को पौष्टिक, सुपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये पांच-पांच किलोग्राम भार वाले काम्पैक्ट फीड सप्लीमेन्ट ब्लाक का निर्माण करना।
- 2.5 कि०ग्रा० भार के पशु चाटन (Urea-Molasses वतपबा) का निर्माण करना।

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

(Uttarakhand Sheep & Wool Development Board)

उद्देश्य : उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय :

- ❖ स्थापना — अक्टूबर 2003।
- ❖ मुख्यालय — देहरादून।
- ❖ पंजीकरण संख्या — 1998 दिनांक 31.10.2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं० 1860 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम:-

- ❖ बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 रोग निदान प्रयोगशाला, 01 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, 01 ऊन श्रेणीकरण/क्रय-विक्रय केन्द्र तथा 03 संचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- ❖ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम-भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढ़ों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- ❖ नस्ल सुधार कार्यक्रम-राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढ़ों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत:-

- भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना।
- ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ कराना।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
- उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना।
- भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना।
- भेड़पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।
- कालसी (देहरादून), मुनिकीरेती (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यारी (पिथौरागढ़), ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड़ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड
(Uttarakhand Animal welfare Board)

- (1) स्थापना – 2004
- (2) मुख्यालय – पशुलोक-ऋषिकेश (देहरादून) लेन नं0 1,डी-26, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड देहरादून।
- (3) पंजीकरण संख्या- दिनांक (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)

उद्देश्य:-

(1) उत्तरांचल राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उनपर हो रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, पालतू एवं अन्य वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा मान0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेशन पर उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना।

(2) बोर्ड, निगम निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन, धारण, और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी। आवश्यकतानुसार अपने नाम से वाद चला सकता है या उसके नाम पर वाद चलाया जा सकता है।

मुख्य कृत्य:-

(क) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले सशोधनो की वावत राज्य सरकार को सलाह दें।

(ख) जीव जन्तुओं को समान्यतया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हों

या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हो तब अनावश्यक पीडा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने वावत् राज्य सरकार को सलाह दें।

(ग) भास्वाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार हेतु, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें।

(घ) शेडों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशुचिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें।

(ङ) बधालयों की डिजाइन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के वध के संबन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें। ताकि जहाँ तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीडा न हो। जहाँ कहीं जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहाँ यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जायें।

(च) जब कभी अवांछनीय जीव जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें।

(छ) ऐसे "पिंजरापोलों" गचावगृहो, पशुआश्रयों, पशुवनो अन्य स्थानों जहाँ पशुपक्षी बूढ़ें व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब शरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के लिये वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दे या अन्यथा प्रोत्साहित करें।

(ज) जीव जन्तु को अनावश्यक पीडा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संरक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एवं उनके कार्यों का समन्वय करें।

(झ) स्थानीय क्षेत्र में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दे या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें। जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं पथ प्रदर्शन के अधीन कार्य करें।

(झ) जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह दे और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें।

(ट) जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित वरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा/प्रशिक्षण दे, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरो, या चल चित्र प्रदर्शनों एवं तद्रूप साधनों के द्वारा लोकमत बनाना या इस हेतु प्रोत्साहित करना।

(ठ) जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीडा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दे।

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य?

स्वरूप : उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्य :-

- (1) मा0 मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल – प्रदेश अध्यक्ष
- (2) राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर) – उपाध्यक्ष
- (3) सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल शासन – पदेन सचिव
- (4) निदेशक पशुपालन विभाग उत्तरांचल – सदस्य
- (5) मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तरांचल – सदस्य
- (6) गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा) चयनित प्रतिनिधि – सदस्य
- (7) पाँच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित) – सदस्य
- (8) समाज सेवी संस्थाओं के "दो" सदस्य जो पशुकल्याण का कार्यकर रहे हैं (राज्य सरकार द्वारा नामित) – सदस्य
- (9) प्रमुख सचिव गृह उत्तरांचल शासन – सदस्य
- (10) निदेशक स्थानीय निकाय उत्तरांचल राज्य – सदस्य
- (11) जिलापंचायत अध्यक्ष उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित) – सदस्य
- (12) विधान सभा के दो मा0 विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित) – सदस्य
- (13) सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा

से जुड़े दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित)– सदस्य

मुख्य अधिकारी का नाम ?

1– **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते ?**

1– मुख्यालय – पशुलोक–ऋशिकेश (देहरादून)।

2– **बैठक की आवृत्ति ?**

वार्षिक सामान्य बैठक –

साधारण सामान्य बैठक –

असाधारण सामान्य बैठक –

अधिशाली कमेटी बैठक –

3– **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?**

नहीं

4– **क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?**

हाँ

5– **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?**

यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया ?

हाँ, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार

क्रम सं०	विवरण
1.	मैनुअल नं-9 अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका
2.	मैनुअल नं-10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है ।

मैनुअल-9

अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

**A directory of its officers
and employees**

विषय सूची (Index)

क0सं0	विवरण
1	परियोजना निदेशक,भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका
2	वरिष्ठता सूची

मैनुअल-9

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,

पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून पर कार्यरत

अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

31 मार्च 2017

क्रम सं०	कर्मचारी / अधिकारियों के नाम	पद नाम	वेतनमान	पता	मोबाईल नम्बर
1.	डा० एस०के०शर्मा	परियोजना निदेशक	15600-39100	पंचकुला, हरियाणा	9411171492
2.	डा० अमित अरोडा	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	15600-39100	मकान नं० 3 / 1323 जनकपुरी जगेरिया रोड सहारनपुर	9759670575
3.	डा० संजय कुमार शर्मा	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	15500-39100	चन्द्रलोक कालोनी कृष्णानगर मथुरा उ०प्र०	9412178750
4.	डा० मनोज कुमार तिवारी	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	15500-39100	34 / 86-6 मोहिनी नगर इलाहाबाद उ०प्र०	9452366618
5.	डा० प्रसून दुबे	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	15500-39100	महामना स्कूल के पास, बिछिया, रीवा मध्यप्रदेश	9411558046
6.	डा० नरेन्द्र कुमार	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	15500-39100	सदर बाजार, भरतपुर-राजस्थान	9412960290
7.	श्री हरबीर सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100-177500	ग्राम-महाव, बुलन्दशहर	9917892909
8.	श्रीमती नेहा बंगवाल	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	शिवाजी नगर, गली न०-16	7895508996
9.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	प०प्र० अधिकारी	5200-20200	ग्रा० चौन्द पट्टी भुरपुर बछेलीखाल जि० टिहरी गढ़वाल	9458910905
10.	कु० पूनम भण्डारी	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	खैरीकलां सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश	7579030913
11.	श्री देवेन्द्र कुमार मान	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	ग्रा० रसुलपुर डा० बाबूबढ़ छावनी जि० गाजियाबाद	9897117234
12.	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	550-विजय लक्ष्मी नगर टेड पोस्ट आफिस रोड सीमापुर	9897732957
13.	श्री अमर जीत सिंह	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	ग्रा० हंसी गढी पो० सालपुर अलीगढ़	9627891122
14.	श्री घनश्याम सिंह	ट्रेक्टर आपरेटर	5200-20200	ग्रा० रिबड गांव डा० संगला कोटी थाना पट्टी तलाई पौडी	8171623585

15.	श्री राजेन्द्र सिंह	ट्रेक्टर आपरेटर	5200-20200	ग्रा0 रसुलपुर पो0 बाबुगढ छावनी जिला गाजियाबाद	9719741074
16.	श्री सुनील कुमार सिंह	ट्रेक्टर क्लीनर	5200-20200	ग्रा0-धनईपुर पो0 भरवली बाजार जिला गोरखपुर	7579205965
17.	श्री जयवीर सिंह राठी	प्रधान सहायक	9300-34800	ग्रा0 धीराहेडी, डा0भोपा मुज्जफरनगर	9634469823
18.	श्री सत्य प्रकाश मौर्य	वरिष्ठ सहायक	9300-34800	नेहरूग्राम, वीरपुरखुर्द, वीरभद्र-ऋषिकेश	9411729908
19.	श्रीमति पुष्पा हटवाल	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	ग्राम देवराडा, पो0 देवराडा तहसील थराली जिला चमोली	9410342075
20.	श्री नवीन गैरोला	वरिष्ठ सहायक	9300-34800	ग्रा0नौर पो0 किलकेश्वर पटटी चौरास टिहरी गढवाल	9557140799
21.	श्रीमति सतेश्वरी देवी	चपरासी	5200-20200	ग्राम0-कस्याली पो0 भृगुखाल तहसील कोटद्वार पौडी गढवाल	8755498117
22.	श्री रूप सिंह गवानी	चालक	5200-20200	ग्रा0 पोखार पो0 पोखार पटटी मिलग जि0 टिहरी गढवाल	9411753679
23.	श्री अब्बल सिंह राणा	चालक	9300-34800	ग्रा0 लोदाडा पौ0धोन्तरी पटटी गाजणा कटुड जि0 उत्तरकाशी	9012955178
24.	श्री विनोद कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	9300-34800	पशुलोक कालोनी, पशुलोक,ऋषिकेश	9434419304
25.	श्री दीपक राज कण्डवाल	प्लान्टआपरेटर	9300-34800	ग्राम -हरिपुर कला पोस्ट-रायवाला जिला-देहरादून	9411326034
26.	श्री दिनेश सिंह चौहान	प्लान्ट आपरेटर	9300-34800	ग्राम-कचटाखत कोरु वाया कालसी जिला देहदादून	9897668702
27.	श्री वी0एस0 रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	ग्राम-श्रीकोट पटटीखातस्यू पोस्ट-ऊरेगी जिला पौडी गढवाल	9412937641
28.	श्री के0पी0 सेमवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	ग्राम-चूलाकोट पोस्ट केदारुखाल (कर्णप्रयाग) जिला चमोली गढवाल	8755296018
29.	श्री पदम सिंह	प0प्र0अधिकारी	9300-34800	नरेन्द्रनगर (कुमार खेडा) टिहरी गढवाल	9999999999
30.	श्री दिनेश प्रसाद बडोनी	सांख्य0अधि0	9300-34800	ग्राम- पायाकोटी पटटी ग्यारह गांव तहसील धनसाली टिहरी गढवाल	9410353560
31.	श्री ललिता प्रसाद जोशी	चालक	9300-34800	ग्राम कल्याणी पोस्ट चिडगा जिला चमोली गढवाल	9411191859
32.	श्री विजय राम खन्तवाल	चालक	5200-20200	सैनिक कालोनी रुडकी हरिद्वार	9410130510

33.	श्री मदन प्रसाद	ट्यूबल आपरेटर	5200-20200	गांव सुविश्वर डा0-बैरोना,जिला देवरिया	8923553113
34.	श्री लाल नारायण प्रसाद	ट्यूबल आपरेटर	5200-20200	ग्राम जागो बिगहा(शमघट)पो0ओ बोधिहा शमघट जिला नलन्दा	9634419304
35.	श्री उपेंद्र सिंह	ट्यूबल आपरेटर	5200-20200	ग्राम मोहम्मद पुर जट पो0ओ0 गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार	8755300844
36.	श्री प्रदीप कुमार राठी	ट्यूबल आपरेटर	5200-20200	ग्राम घीराहेडी पो0ओ0 भोपा जिला मुज्जफरनगर	9634881115
37.	श्री अशोक कुमार	ट्यूबल आपरेटर	5200-20200	ग्राम रामपुर पो0 हिन्दापुर जिला देवरिया	9760315427
38.	श्री बीर सिंह	फार्म मैकेनिक	5200-20200	पशुलोक फार्म निकट पो0प्र0ओ0प्रशिक्षण केन्द्र पो0ओ0पशुलोक (देहरादून)	9259935161
39.	श्री जसवन्त सिंह	बढई	5200-20200	ग्राम-सुर्द नेहरूग्राम पो0ओ0 पशुलोक ऋषिकेश	9557013395
40.	श्री नाथीराम	जमादार	5200-20200	गांव कोटा डा0कोटा थाना नागल जिला सहारनपुर	9760313228
41.	श्री विजय किशोर	पम्प ड्राईवर	5200-20200	गांव अमरपुरा, डा0 वरिहना जिला गोपाल गंज (बिहार)	9897178985
42.	श्री बलबीर सिंह	पम्प ड्राईवर	5200-20200	गांव माणदा, डा0 तुगोली जिला टिहरी गढवाल	8445024124
43.	श्री इन्द्रेश कुमार	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम देहरी गुजर पौ0 बरतौरा जनपद मुरादाबाद	9719016743
44.	श्री श्याम सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बडोवाला पोस्ट बडोवाला आर0केडियाग्राण्ट देहरादून	7579249118
45.	श्री सरजू प्रसाद	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम-पिलाकापुर, डा0 तेरिया जिला हरदोई	8126882687
46.	श्री सुमरत सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम खदरी खडकमाफ लक्कडघाट गुमानीवाला जनपद देहरादून	9997347182
47.	श्री सूरज पाल	अनुसेवक	5200-20200	कृष्णा नगर आई0डी0पी0एल वीरभद्र ऋषिकेश (देहरादून)	7830995932
48.	श्री प्रेम लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम मांगयपट्टी मल्ला उदयपुर तहसील कोटद्वार जनपद पौडी	9557120285
49.	श्री लालता प्रसाद	अनुसेवक	5200-20200	वीरभद्र पशुलोक ऋषिकेश (देहरादून)	9760993828
50.	श्री होरी लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बिराहिमपुर पो0ओ0 अच्यामसैन जनपद हरादोई	9634419304
51.	श्री ओम पाल सिंह	अनुसेवक	5200-20200	श्यापुर बाईपास ऋषिकेश देहरादून	8755256118
52.	श्री राम सूरत सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम कमालपुर पो0 छुटमलपुर जनपद सहारनपुर	9557652527
53.	श्री श्रीराम पुत्र श्री कल्लू	अनुसेवक	5200-20200	गांव मायाराम का पुरवा पो0मतरमपुर तहसील	8449991497

				सालैन जिला रायबरेली	
54.	श्री रमेश सिंह गुसाई	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बावई पो0ओ0 बावई पटटी तल्लापुर जनपद रुद्रप्रयाग	9634534482
55.	श्री बचन सिंह पोखारियाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम गुलजारा फार्म खदरी खडक माफ पो0ओ0 गुमानीवाला (देहरादून)	7895728020
56.	श्री संजय कुमार	अनुसेवक	5200-20200	आंगल भटटा ब्रहमपुरी माजरा देहरादून	9760187599
57.	श्री राधेश कुमार	अनुसेवक	5200-20200	वीरपुर खुर्द (ट्रेनिंग सेन्टर के पास) पशुलोक ऋषिकेश देहरादून	9897509084
58.	श्री बीर सिंह	अनुसेवक	5200-20200	शिवाजी नगर पशुलोक ऋषिकेश (देहरादून)	9259935161
59.	श्री दशरथ पाल	अनुसेवक	5200-20200	शिवाजी नगर (बापुग्राम) पशुलोक ऋषिकेश देहरादून	7895963534
60.	श्री मोहन लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम साबादपुर डा0सोलान जनपद रायबरेली	9634419304
61.	श्री राम किशन	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम लालपुर पो0ओ0मडावर जिला बिजनौर	9760215744
62.	श्री राजेन्द्र सिंह	ऊन विश्लेषक	9300-34800	ग्रा0-स्टेड,पो0चचरोटी तह0 भिकियासैण अल्मोडा	9410358587
63.	श्री सुदामा प्रसाद	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम सुषिश्वर पो0बैरोना जनपद देवरिया	9760363118
64.	श्री सतीश चन्द भारद्वाज	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बूगामल्ला पटटी बिचलापुर पौडी गढवाल	9760252794
65.	श्री छोटे लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम गन्दुनगला डा0गन्दुनगला जिला गजियाबाद	---
66.	श्री कैदार	अनुसेवक	5200-20200	गांव विशाहिनपुर पो0अटवा मसीन तहसील संडीला जिला हरदोई	8923191090
67.	श्री गगन बहादुर	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम छिदरवाला पां0ओ0 छिदरवाला (देहरादून)	---
68.	श्री सुरेश चन्द वाजपेयी	प्रभारी अधिकारी (ऊन प्रयो0)	9300-34800	3 आर0पी0 ब्लाक-सी-श्यामनगर,पो0 सी0ओ0डी0 कानपुर नगर	9412937499
69.	श्री श्याम लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बसन्त गंज डा0सलौना जिला रायबरेली	8957095066
70.	श्री श्रीराम पुत्र श्री राम अवतार	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम अब्बास नगर पो0ओ0 नगराम जिला लखनऊ	9897130628
71.	श्री धनवीर सिंह	अनुसेवक	5200-20200	गांव मल्लावनास डा0किनसार थाना लैसडाउन जिला पौडी गढवाल	9557799613
72.	श्री राजा राम	अनुसेवक	5200-20200	गांव बसन्त गंज डा0 सालोन तहसील सालोन जिला रायबरेली	9758034456
73.	श्रीमती पूर्णा देवी	अनुसेवक	5200-20200	चोपडा फार्म खदरी खडक	9634419304

				माफ जनपद देहरादून	
74	श्री मंगु सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम अटटा डा0 बाबुगढ छावनी जिला गा0बाद	8868038057
75	श्री मंगल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम गनौरा पो0 छाईमा सण्डीला जपनद हरदोई	9634419304
76	श्री राजकुमार	अनुसेवक	5200-20200	बापूग्राम पो0 वीरभद्र जिला देहरादून	9897133713
77	श्री रामलाल	अनुसेवक	5200-20200	गांव बसन्त गंज डा0 सलौना जिला रायबरेली	9897828871
78	राजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	ग्रा0माण्डा पौ0ओ0तुगोली पटटी मखलोगी टि0ग0	9410358587
79	श्री मैकू	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम गनौरा पो0छनाईया तहसील सण्डीला जिला हरदोई	9997545595
80	श्री श्यामा	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम- सुविश्वर डा0 वैरूना थाना खूखनू जि0देवरिया	7500251670
81	श्री श्याम धनी	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बडा बेजाखुर्द तहसील बांसगांव जिला गोरखपुर	9634419304
82	श्री देवेन्द्र दत्त	अनुसेवक	5200-20200	गांव गुमानीवाला डा0 सत्यनारायण जनपद देहरादून	
83	श्री मोती लाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम किठावा डा0घरई तहसील सलौन जिला रायबरेली	8755302618
84	श्री रमेश कुमार	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बिराहिमपुर पो0ओ0 अटवा मसैन जिला हरदोई	---
85	श्री छविलाल	अनुसेवक	5200-20200	नेहरू ग्राम वीरभद्र पशुलोक ऋषिकेश	9634419304
86	श्री नंगू	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बसंत गंज पो0ओ0 सलौन जिला रायबरेली	9557836364
87	श्री मोहन सिंह	अनुसेवक	5200-20200	खारासोत मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल	9897757381
88	श्री खडक सिंह	अनुसेवक	5200-20200	गांव गवालदम डा0 ग्वालदम जनपद चमोली	---
89	श्री मेजर सिंह थापा	अनुसेवक	5200-20200	मकान नं0 46 सोमेश्वर नगर-ऋषिकेश	9759197550
90	श्री रामा	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बेलाखुर्द पो0 बेलाखुर्द जिला गोरखपुर	9897343698
91	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम तिवारी पडरी,पो0डमबोलिया जिला देवरिया	8445907082
92	श्री कमल नैन	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बडेरना खुर्द पो0 थानो देहरादून	9548984029
93	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम छाता पूरब का टोला जिला बलिया	8171672181
94	श्री ऋषिराज	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम मीरानगर बापूग्राम ऋषिकेश देहरादून	7895631510
95	श्री लाल कुवर	अनुसेवक	5200-20200	ग्रा0 महमूदपुर जट पो0नारसन जिला हरिद्वार	9410529960
96	श्री रामलाल	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम एवं पोस्ट पकसंरावा जनपद राय बरेली	9897828871
97	श्री बुद्ध प्रकाश	अनुसेवक	5200-20200	डी-145 बैराज कालोनी पशुलोक ऋषिकेश	8979463964
98	श्री विक्रम सिंह चौहान	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम बागेश्वर पटटी भरपुर तहसील देवप्रयाग	8449991497

99	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम तिवारपडरी पो0 डमबोलिया देवरिया	7895678828
100	श्री गोपाल दत्त	अनुसेवक	5200-20200	गांव रामधार डा0 बैनोली जनपद चमोली	9634057742
101	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	अनुसेवक	5200-20200	पशुलोक फार्म ऋषिकेश देहरादून	9760101709
102	श्री राकेश लाल आर्य	अनुसेवक	5200-20200	हरयनी विकाशखण्ड दशोली, चमोली	9927235913
103	श्री पाला राम	अनुसेवक	5200-20200	गांव लक्कडघाट पो0 सत्यनारायण खदरी खडक माफ ऋषिकेश देहरादून	9634419304
104	श्री दिलीप कुमार सिंह	अनुसेवक	5200-20200	ग्राम श्यामपुर, बाईपास, ऋषिकेश	8126226189
105	श्री विक्की	अनुसेवक	5200-20200	पशुलोक कालोनी, पशुलोक, ऋषिकेश	8958575579
106	श्रीमति दिव्या त्रिपाठी	प0प्र0अ0	5200-20200	टोनस कालोनी डाक पत्थर देहरादून	8192863637
107	श्री हरीश कुमार	लेखाकार	4300-34800	ग्राम माल्डी डा0 खास जिला पौड़ी गढ़वाल	8126226189
108	श्री पंकज बडोनी	प0प्र0अ0	9300-34800	भटवाडा पट्टी नैलचामी ब्लाक जखोली टिहरी गढ़वाल	9837057540
109	श्री वेद प्रकाश भारद्वाज	अनुसेवक	5200-20200	मीरानगर, बापूग्राम, ऋषिकेश	7895456066
110	डा0 मनीष सिंह नेगी	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2	15600-39100	ग्राम-पुखरोड़ा, पो0-विसौनाखान, जिला पिथौरागढ़	9456340933
111	डा0 उत्तम कुमार	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2	15600-39100	पुरुलिया रोड, पो0-मानगो, जिला (पूर्वी) सिंहभूम झारखण्ड	7060743858
112	डा0 अर्चना भदौरिया	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2	15600-39100	आदित्यपुरम कालोनी, ग्वालियर, म0प्र0	9893651069
113	श्रीमती सुषमा भट्ट	अनुसेवक	5200-20200	ग्ली नं0-5, अमित ग्राम, गुमानीवाला बाईपास रोड, ऋषिकेश।	9760437292
114	श्री गौरव गुंसाई	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	ग्राम -बैराकोटी, पो-भीड़ा, पौड़ी गढ़वाल	9760633345

मैनुअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	परियोजना निदेशक,भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश पर कार्यरत अधिकारियों की सूची जिन्हें वर्ष में दिया गया पारिश्रमिक
2	कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

मैनुअल-11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
2	अपर निदेशालय से प्राप्त बजट का पत्र

प्राप्त आबंटन/ व्यय

परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक प्रक्षेत्र-ऋषिकेश।

वर्ष 2016-17

001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-निदेशालय	अधिष्ठान मदों में आबंटन	52211000	व्यय	47926024
	आकस्मिक मदों में आबंटन	1740483	व्यय	1689408
	योग आबंटन:-	53951483	व्यय	49615432
106-अन्य पशुधन विकास, 03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	अधिष्ठान मदों में आबंटन	7974200	व्यय	7842315
	आकस्मिक मदों में आबंटन	1541250	व्यय	1438889
	योग आबंटन:-	9515450	व्यय	9281204

आयोजनागत योजनाएं

पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता	आकस्मिक मदों में आबंटन	50000	व्यय	50000
व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु डेयरी यूनिट की स्थापना	आकस्मिक मदों में आबंटन	1200000	व्यय	1199986
पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	आकस्मिक मदों में आबंटन	-----	व्यय	-----

मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	अंशदान पर दिये जाने वाले पशुओं का विवरण

1. भेड एवं अश्व अनुभाग समाप्त होने के उपरान्त अंशदान पर पशुओं को दिया जाना बन्द हो गया है। सूकर इकाई से सूकर पालकों को सूकर सावक नीलामी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं
2. कुक्कुट अनुभाग से जनपदों को एक दिवसीय चूजों को उत्पादन कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मैनुअल नं०-14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	परियोजना निदेशक भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान ,पशुलोक-ऋषिकेश जनपद देहरादून पर ई०मेल एवं कम्प्यूटर में उपलब्ध मैनुअलों का विवरण

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,
पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून ।

इस संस्थान पर ई-मेल आईडी
ddah.pashulok@yahoo.com
उपलब्ध है, मैनुअल कम्प्यूटर में उपलब्ध
है । जिनको सीडी तथा हार्ड कापी में
सुरक्षित रखा गया है, तथा विभागीय
वैबसाईट पर अपलोड किया गया है।

मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
2	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

1- सूचना अधिकार अधिनियम	1-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं मण्डल स्तर पर अपर निदेशक तथा निदेशालय स्तर पर भी मैनुअलों का अवलोकन करने की सुविधा उपलब्ध है
2- पुस्तकालय वाचन कक्ष की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता हैं। पुस्तकालय एवं वाचन कक्ष आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मैनुअल-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और
अन्य विशिष्टियां

डा0 आर0एस0 टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तरांचल सूचना आयोग
फोन (0135) 2712079 (नि)
फैक्स :
ई-मेल : rs_tolia@rediffmail.com
सं. 351 / मु.सू.आ. / 2ए / 2006
दिनांक : मार्च 07, 2006

प्रिय,

सूचना का अधिकार अधियम, 2005 के अन्तर्गत धारा 4 के अनुपालन में जो 16 मैनुवल तैयार किये जाने थे उसके सम्बन्ध में आपके विभागीय अधिकारियों द्वारा जो सराहनीय प्रयास किये गये हैं मैं उनकी और आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहता

हूँ।

2. जो 16 मैनुवल तैयार किये गये हैं उनमें अधिकांश नरेटिव तो कम्प्यूटर पर टंकित है अतः उनमें **Spell Check** तथा त्रुटियां दूर करने के उपरांत उन्हें सीधी सीडी में लेकर उनकी प्रतियां मुद्रित करायी जा सकती है संलग्नकों में कई शासनादेश ऐसे हैं जिनकी छाया प्रतियां लगी तो हैं किन्तु वह स्पष्ट नहीं है। अतः उन्हें भी कम्प्यूटर पर टंकित करके ही सम्बन्धित मैनुवल के साथ संलग्न करना उचित होगा मैनुवल संख्या 5 में जो विभिन्न अधिनियम व नियम हैं उनकी प्रतियां को प्राप्त करके यथावत मैनुवल संख्या 5 का भाग बनाना उचित होगा और इन यथावत मैनुवलों 5 के सेट के रूप में जिला स्तरीय अधिकारियों को भी प्रेषित करना उचित होगा।
3. 13 मार्च, 2006 को आयोग के कार्यालय के उद्घाटन के समय पशुपालन विभाग के द्वारा तैयार किये गये इन 16 मैनुवलों को मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा इस आशय से लोकर्पित किया जाना प्रस्तावित है जिससे वह अन्य [विभागों/लोक](#) प्राधिकारियों के लिए एक आदर्श बन सकें अतः अनुरोध है कि 13 मार्च 2006 से पूर्व इन 16 मैनुवलों को मा. मुख्य मंत्री जी के स्तर से विमोचन के लिए समुचित रूप से प्रस्तुतिकरण योग्य(Presentable) बनाने के लिए सचिव, पशुपालन तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें और वह 13 मार्च 2006 को कार्यालय के उद्घाटन के समय इन मैनुवल्स के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करें। ऐसा निर्देश देने का कष्ट करें।

1. उक्त समारोह में यदि आप भी भाग लें सकें तो इससे सभी का उत्साहवर्धन भी होगा।

भवदीय

(आर.एस. टोलिया)

श्री एस.के. दास,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल शासन।

प्रतिलिपि निम्न को समय से अनुश्रवण हेतु :-

1. सचिव, पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, सूचना आयोग।

(आर.एस. टोलिया)

उत्तरांचल शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या- 165/सू0/XXXI(13)G-2(2)/2006

देहरादून : दिनांक : 31 मार्च, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :-

विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
<p>प्रस्तर-3, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के <u>वित्त/लेखा</u> अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 की फीस उचित रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंकर्स चैक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।</p>	<p>प्रस्तर-3, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) की फीस उचित रसीद के प्रति नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंकर्स चैक भारतीय पोस्टल ऑर्डर ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।</p>

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-16500/सू0/XXXI(13)G-2(2)/2006 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी सहारनपुर रोड, देहरादून उत्तरांचल।
5. रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

दिनांक 22 मार्च 2006

विषय :- सूचना के अनुरोधो पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हो गया है। शासन स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियाँ पहले ही की जा चुकी है। विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों का नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी देने की कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों की सुविधा के लिए शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है जिसकी प्रतियाँ सभी विभागों को प्रेषित कर दी गयी है।

इन तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों का निस्तारण सुगमता से किये जाने की अपेक्षा की गयी है। लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं जिनका मुख्य कारण प्रक्रिया की अस्पष्टता व विभाग एवं लोक प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का नही होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यवधि सम्बन्धी निर्देश जारी किये जायँ जिससे इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रक्रिया से सम्बन्धी अस्पष्टता दूर हो सकें। इस सन्दर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाइयों एवं लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सूचना का अनुरोधकर्ताओं के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना :-

अधिकांश शंकायें सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा सकती है। सम्भव है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता ही न पड़ें। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहाँ भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित हैं सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिये सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक मार्गदर्शन या सुविधा कक्ष (Facilitation Counter) की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिन कार्यालयों में स्वागत कक्ष पहले से ही स्थापित हैं उनमें इन्ही स्वागत कक्षों में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की

भी व्यवस्था की जानी चाहिए । इसके लिए स्वागत कक्ष के एक हिस्से में सूचना के अनुरोधकर्ताओं से बातचीत कर यह मालूम कर सकते हैं कि वह क्या जानना चाहते हैं। तदनुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवा कर वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि अविश्वास या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिये अनुरोध न करें। स्वागत कक्ष के अतिरिक्त पुस्तकालय वाचनालय प्रतिका कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कामन स्पेस को भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें विभागीय सूचनाओं से सम्बन्धित 17 मैनुवलस विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती हैं।

2. अनुरोधपत्रों के पंजीकरण का प्रारूप :-

सूचना के अनुरोधों का विधिवत पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक 1,2,3,)। प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए दूसरा प्रारूप लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए तथा तीसरा प्रारूप अपील के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विहित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण स्तर पर विहित प्रारूपों के अनुसार " सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका" व सूचना के लिए अपील पंजीकरण पंजिका छपवा ली जाय यथा सम्भव अनुरोधों का पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए ताकि स्वतः प्रगति रिपोर्ट तैयार हो सके एवं अधिनियम की व्यवस्था के अपुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरण भेजा जा सकें।

3. अनुरोध पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था :-

प्रारम्भिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कर्मचारियों में लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहें। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है। तथापि जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित हैं, वहाँ वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसके पंजीकरण की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थिति में भी सूचना के अनुरोधों पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जायें। इस दिशा में समुचित व्यवस्था करके लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना के अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा सकें।

4. सूचना शुल्क लेखांकन की प्रक्रिया :-

सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 10/- रु0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता है। इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 1/XXVII(7)/2005 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विस्तृत प्रक्रिया सुझाई गयी है। फिर भी इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नगद अथवा विभाग/लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 पर शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत की जानी है। इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर लें और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत करें। यही प्रक्रिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जायेगी। शुल्क से प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें जो कि विभाग की रोकड बही में प्रतिष्ठि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व लेखाशीर्षक के अधीन राजकोष में जमा करेगें।

इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क जमा करने की प्रक्रिया को और सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. सूचना का अनुरोधों पर कार्यवाही :-

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30,35 या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वाञ्छित सूचना उपलब्ध करा दी जानी है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सम्भावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं।

- संलग्नक :- 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रेषण का प्रपत्र।
संलग्नक :- 5. सूचना के अनुरोध का पावति प्रपत्र का
संलग्नक :- 6. अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
संलग्नक :- 7. तीसरे पक्षघर को सूचना का प्रपत्र
संलग्नक :- 8. सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
संलग्नक :- 9. अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र
संलग्नक :- 10. अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करने सम्बन्धी प्रपत्र

यथा सम्भव पत्राचार में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागाध्यक्षों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व

उसके पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रक्रिया को यदि आवश्यक हुआ तो, विभागीय विशिष्टताओं/व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेंगे। जिससे सूचना देने की प्रक्रिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी निश्चित प्रक्रिया व प्रारूप का ज्ञान होने में कम से कम कठिनाई हों।

भवदीय
(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

संख्या 146/सू0/XXXI(13)G-/2006- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलयुक्त, गढवाल/कुमायू, उत्तरांचल।
2. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
7. राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक - 1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र० सं०	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	सम्बन्धित विभाग/ अनुभाग का नाम	आवेदन शुल्क का भुगतान (रु०)	लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषण की तिथि

संलग्नक - 2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र० सं०	अनुरोध प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क रु०	अतिरिक्त शुल्क रु०

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र० सं०	अपील के लिए अनुरोध प्राप्ति तिथि	विभाग/ अनुभाग का नाम	अपील से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	लौ०सू०अ० के आदेश का संक्षिप्त विवरण	अपील स्वीकृत/ अस्वीकृत	विभागीय अपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपीलकर्ता को आदेश पत्र निर्गत करने की तिथि

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेषित करने का प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या

दिनांक

प्रेषक,

.....

सेवा में,

लोक सूचना अधिकार,

.....

.....

अनुरोधकर्ता का नाम.....

पत्राचार का पता.....

वर्ग: बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0.....

अनुरोध प्राप्ति की तिथि.....

अग्रेषण की तिथि.....

मांगी गई सूचना का विषय.....

.....

सम्बन्धित विभाग/अनुभाग का नाम.....

सूचना शुल्क की मात्रा रू0.....

अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

संलग्नक: अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुहर

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि यदि आवश्यक समझा जाय	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	आदेश निर्गत करने की तिथि

संलग्नक - 5
अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता-

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

विषय :- अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

श्री / श्रीमति.....

.....

कृपया अपने दिनांक के सूचना के अनुरोध पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू० अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क०सं०	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो विभाग के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें/अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुहर।

संलग्नक – 6

तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या.....

दिनांक

.....

.....

संलग्न श्री/श्रीमति से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि इस विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथी के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

संलग्न : अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुहर।

संलग्नक – 7
सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारों को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक

लोक सूचना अधिकारी

.....
.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/उपक्रम से सम्बन्धित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वाछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : सूचना का अनुरोधपत्र मूल रूप में :

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

श्री / श्रीमति.....
.....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक – 8
कार्यालय का नाम व पता
सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या.....

दिनांक.....

.....

श्री / श्रीमति.....

निवासी.....

.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र
रु0..... आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है अतः आवेदन शुल्क देय नहीं है।

संलग्नक : शुल्क रसीद,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुहर।

संलग्नक – 9
अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक

.....

.....

कृपया अपने दिनांक से सूचना के अनुरोध पत्र का संन्दर्भ ग्रहण करे।
आपके अनुरोध की निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

- (1).....
- (2).....
- (3).....

इस आदेश के विरुद्ध यदि आप चाहें तो विभाग के उच्च अधिकारियों व अपील अधिकारी,
जिनका पता नीचे दिया गया है। से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर –अन्दर अपनी
अपील कर सकते है।

अपील अधिकारी का पता

.....

.....

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक -10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक

.....

श्री / श्रीमति.....

.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या.....
दिनांक का सन्दर्भ ग्रहण करें।

3. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण संलग्न है।
4. निम्न लिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही है।

(1)

(2)

(3)

5. इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.....

.....

संलग्नक : उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण।

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपके अधिकार

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 12 अक्टूबर से प्रभावी है।
2. प्रत्येक नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार है।
3. सूचना प्राप्त करने हेतु दस रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
4. अभिलेखो/पत्रावलियों का निरीक्षण आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 15 मिनट हेतु पांच रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
5. अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रुपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी हागी।
6. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्य को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।
7. वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतः तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
8. निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को (अधिनियम की 19 धारा (1) के अन्तर्गत) की जा सकेगी।
9. विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील का निस्तारण तीस दिन के अंदर करेगा।
10. विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्माण से क्षुब्ध कोई नागरिक द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा-19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के अन्दर कर सकता है।
11. यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग की शिकायत भी दर्ज कर सकता है। आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा जनहित में प्रचारित

दूरभाष :- 0135-2666778, 2666779,

आवेदन पत्र

1. अनुरोधकर्ता का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. पत्राचार/सम्पर्क का पूरा पता :-
4. इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण :-
5. सम्बन्धित विभाग का नाम :-
6. आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण :-
7. गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण :- (यदि लागू हो)
8. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :-
9. आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान :-

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,
पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून ।

<p>सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो तो उसका भी विवरण</p>	<p>सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय बनाया गया है शासन के निर्देशानुसार बोर्ड कार्यालय के समीप लगवा दिया गया है। कोषागार से 385 रसीद बही प्राप्त कर ली गयी है, मैनुअलों अवलोकन हेतु मैनुअल उपलब्ध है।</p>
---	--

मैनुअल नं०-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और
अन्य विशिष्टियां

The names, designations and
other particulars of the Public
Information Officers.

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम पदनाम व दूरभाष नम्बर

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,
पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून ।

1.	अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	डा०एस०के०शर्मा,परियोजना निदेशक,भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक-ऋषिकेश ।
2.	लोक सूचना अधिकारी का नाम,पदनाम और अन्य विशिष्टियां	1. डा० नरेन्द्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1, पशुपोषण प्रयोगशाला, पशुलोक । कार्यालय-परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान, पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून । मो०-9456710919
3.	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	समस्त अनुभाग अधिकारी, पशुलोक प्रक्षेत्र

मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जाय ।

विषय सूची (Index)

क्र०सं०	विवरण
1	पशुलोक प्रक्षेत्र की पुर्नस्थापना हेतु प्राप्त बजट
2	पशुलोक प्रक्षेत्र पर मीरा बैन की आदमकद मूर्ति की स्थापना सम्बन्धी पत्र
3	उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीति 2005

परियोजना निदेशक, भेड एवं ऊन प्रसार संस्थान,

पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश देहरादून ।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो, तो उसका भी विवरण	सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय बनाया गया है,,शासन के निर्देशानुसार बोर्ड कार्यालय के समीप लगवा दिया गया है । कोषागार से 385 रसीद बही प्राप्त कर ली गयी है, मैनुअलों के अवलोकन हेतु मैनुअल उपलब्ध है।
---	--

9 नवम्बर 2000 में नवसृजित उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, उत्तरांचल शासन द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों के पुर्नवास हेतु पशुलोक प्रक्षेत्र की 2146 एकड भूमि में से 680 एकड भूमि पुर्नवास विभाग को दी गयी, तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य विकास हेतु अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त उत्तरांचल सरकार द्वारा 107 एकड भूमि "एम्स" हेतु पशुलोक प्रक्षेत्र की भूमि में से ही स्थानान्तरित करायी गयी, इस प्रकार पशुलोक प्रक्षेत्र पर पशुपालन विभाग की पूर्वस्थापित योजनायें भूमि की कमी के कारण प्रभावित हुई, फलतः

उत्तरांचल शासन द्वारा पर्वतीय जनपदों के विकास को दृष्टि में रखते हुये निम्न योजनाओं को पर्वतीय जनपदों में पशुलोक में स्थापित योजनाओं के स्थानान्तरण के आदेश पारित किये :-

1. भेड विकास योजना – पर्वतीय जनपदों में –(उत्तरकाशी,चमोली,रूद्रप्रयाग)
2. अश्व एवं गर्दभ प्रजनन इकाई– नरियालगांव– (चम्पावत)

राज्य सैक्टर योजना/प्रथम अनुपूरक मांग
संख्या-171/XV-1/1(22)/2005

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तरांचल, गोपेश्वर-चमोली।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 02 मार्च 2006

विषय :- पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित भूमि एम्स को दिये जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग की वर्तमान योजनाओं के पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1971/नि0 पुर्नस्थापना दिनांक 15 फरवरी 2006 व शासनादेश संख्या-404/XV-1/1(22)/2005 दिनांक 1 दिसम्बर 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुर्नस्थापना योजनान्तर्गत उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा तैयार किये गये आगणन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय हेतु वित्तीय किश्त के रूप में रूपया 178.22 लाख (एक करोड अठहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। इस स्वीकृति के पश्चात के पश्चात चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में उपलब्ध बजट प्राविधान के सापेक्ष शत प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति जारी हो जायेगी।

1. आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीनक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।
3. कार्य का उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ आवश्यक करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जायेगा।
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जा तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।
9. बजट मैनुअल मे निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा मे प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-13 पर विभागध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
10. स्वीकृत निर्माण कार्यो को तत्काल प्रारम्भ किया जाये ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नही किया जायेगा। निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायें।
11. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-00-106-अन्य पशुधन विकास आयोजनागत-00-03-पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुर्नस्थापना 24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।
12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-448/वित्त अनु0-4/05 दिनांक 24 फरवरी, 2006 के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्या-171/XV-1/1(22)/2005-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

महालेखाकार, उत्तरांचल सहारनपुर रोड देहरादून ।

1. निदेशक, कोषागार पेन्शन एवं वित्त सेवाये उत्तरांचल देहरादून ।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/उप कोषाधिकारी, ऋषिकेश ।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
6. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
7. वित्त अनुभाग-4/3
8. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून ।
9. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी कुमायूँ मण्डल नैनीताल ।
10. परियोजना प्रबन्धक यूनिट-3 (निर्माण विंग) उत्तरांचल पेयजल निगम, 281 पोखरियाल भवन देहरादून रोड ऋषिकेश ।

11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(जे०पी० जोशी)
उप सचिव ।

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
देहरादून ।

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
यूनिट-3 (निर्माण विंग),
उत्तरांचल पेयजल निगम,
281 पोखरियाल भवन,
देहरादून रोड ऋषिकेश ।

पत्रांक : /लेखा/नि०बजट/पुर्नस्थापना/2005-06 दिनांक 13 दिसम्बर 2005,

विषय :- वित्तीय वर्ष 2005'-06 के लिए पशुपालन विभाग पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुर्नस्थापना के अन्तर्गत पूजीगत मद में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त किया जाना ।

महोदय,

शासन के आदेश संख्या-404/XV-1/1(22)/2005/ पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिसम्बर 01, 2005 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में पशुपालन विभाग की राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत निम्न केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु आगणन के अनुसार रू० 2.00 करोड (रूपये दो करोड) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न संस्थाओं के भवन निर्माण कार्यों के लिए रू० 2.00 करोड (रूपये दो करोड) मात्र की धनराशि आपको चैक संख्या-948923 दिनांक 12.12.2005 रू० 2,00,00,000.00 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इसके साथ ही उक्त शासनादेश/स्वीकृति आंगणनों की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासनादेश में वर्णित शर्तों एवं आगणनों में दर्शाये गये कार्यों के अनुरूप अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने की कृपा करें ताकि प्रत्येक माह की 30/31 की तिथि तक वित्तीय/भौतिक प्रगति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने की कृपा करें। ताकि शासन को तदनुसार प्रगति से अवगत करवाया जा सकें।

क्र० सं०	नाम संस्था का जहाँ निर्माण कार्य किया जाना है।	यूनिट-3 (निर्माण विंग) उत्तरांचल पेयजल निगम, ऋषिकेश को उपलब्ध करवायी जा रही धनराशि	शासनादेश संख्या/दिनांक
1	पशुलोक प्रक्षेत्र हेतु	रू० 1.50 करोड	404/XV-1/1(22)/2005 दिनांक 1 दिसम्बर 2005
2	नरियाल गांव चम्पावत हेतु	रू० 0.35 करोड	
3	डुण्डा उत्तरकाशी हेतु	रू० 0.15 करोड	
	योग रू० :-	रू० 2.00 करोड	

(रूपये दो करोड मात्र)

संलग्न :- चैक सं०-948923 दि० 12.12.05

रू० 2.00.00.000.00

शासनादेश की छाया प्रति

भवदीय

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल गोपेश्वर-चमोली।
संख्या /नि०पुनर्स्थापना दिनांक दिसम्बर 3 2005,
सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।

शासनादेश संख्या 404/XV-2/1(22)/2005 दिनांक 01 दिसम्बर 2005 (प्रतिलिपि संलग्न) रू० 2.00 करोड मात्र करोड की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गई है। इस धनराशि को व्यय हेतु आवंटन आवंटित किया जाता है।

कृपया धनराशि का उपयोग शासनादेश में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जाय। इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 28 लेखा शीर्षक-4403-पशुपालन पर पूजीगत परिव्यय-00-106-अन्य पशुधन विकास आयोजनागत 03 पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुनर्स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
संलग्न-उक्त शासनादेश।

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेशक,

संख्या 1454 /नि.सांख्यिकीय दिनांक उक्त

प्रतिलिपि उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
 2. लेखा शाखा, मुख्यालय।
 3. उप निदेशक केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश देहरादून।
 4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी/चम्पावत।
 5. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
 6. प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून को इस आशय से कि उनके विभाग द्वारा गठित आगणनों के सापेक्ष उपरोक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस धनराशि में से निम्न प्रकार कार्य तत्काल प्रारम्भ करने की कार्यवाही करें।
 1. पशुलोक प्रक्षेत्र हेतु - रू० 1.50 करोड
 2. नरियाल गांव चम्पावत हेतु - रू० 0.35 करोड
 3. डुण्डा उत्तरकाशी हेतु - रू० 0.15 करोड
- कुल- रू० 2.00 करोड

प्रेषक,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग (उत्तरांचल),
गोपेश्वर-चमोली।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
देहरादून।

संख्या /नि./पशुलोक प्रक्षेत्र/2005-06, दिनांक 6 मार्च 2006,

विषय :- पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित भूमि एम्स को दिये जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग की वर्तमान योजनाओं के पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

शासनादेश संख्या 171/XV-1/1(22)/2005, दिनांक 02 मार्च 2006 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुनर्स्थापना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू0 178.22 लाख की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गई है इस धनराशि को व्यय हेतु आपको आवंटित किया जाता है।

कृपया धनराशि का व्यय एवं उपयोग शासनादेश में उल्लिखित नियमों शर्तों एवं प्रतिबन्धों को अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-00-106 अन्य पशुधन विकास आयोजनागत-00-03-पशुपालन विभाग की पशुलोक स्थित संस्थाओं की पुनर्स्थापना के मद संख्या-24 बृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-शासनादेश।

भवदीय

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेशक,

संख्या 2155 /नि./पशुलोक प्रक्षेत्र/2005-06 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2. लेखा शाखा मुख्यालय।
3. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी चम्पावत/उत्तरकाशी।

4. उप निदेशक केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक ऋषिकेश देहरादून।
5. महालेखाकर उत्तरांचल देहरादून।
6. प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम देहरादून को इस आशय से कि उनके विभाग द्वारा गठित आगणनों के सापेक्ष उपरोक्त धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है इस धनराशि में से सापेक्ष उपरोक्त धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है इस धनराशि में से निम्न प्रकार पूर्व से प्रारम्भ कार्य को तत्काल सम्पन्न करें।

1.	पशुलोक प्रक्षेत्र में रूकी हुई संस्थाओं हेतु	—	रु0 64.83 लाख
2.	अश्व अनुभाग नरियालगांव चम्पावत हेतु	—	रु0 104.75 लाख
3.	ऊन प्रयोगशाला डुण्डा उत्तरकाशी हेतु	—	रु0 8.64 लाख
कुल योग —			रु0 178.22 लाख

संलग्न— शासनादेश।

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेशक

प्रेषक,
 उपनिदेशक,
 पशुपालन विभाग,
 केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र,
 पशुलोक ऋषिकेश देहरादून।
 सेवा में,
 परियोजना प्रबन्धक,
 निर्माण विंग उत्तरांचल पेयजल निगम,
 ऋषिकेश।

पत्र सं० 6723 /बैंक ड्राफ्ट/चैक/

दिनांक 22.3.06,

महोदय,

आपके पक्ष में एक सरकारी बैंक ड्राफ्ट बैंक सं० UA1969358 दिनांक 18.3.06 अंकन रूपये 590000.00 रूपये पांच लाख नब्बे हजार मात्र, संलग्न करते हुए अनुरोध निम्नलिखित विवरण के अनुसार सम्बन्धित का'इसका भुगतान करा देने एवं विभागीय रसीद/वास्तविक टिकट खुद रसीद इस कार्यालय को शीघ्र भेजने का कष्ट करें ताकि कार्यालय अभिलेखों को पूर्ण किया जा सकें।

भुगतान प्राप्त कर्ता का नाम	विवरण	धनराशि
उत्तरांचल पेयजल निगम	शासनादेश सं. 743रुXV/1/2(75)106 दि० 18. 2.06	5.90000.00
	योग :-	5.90000.00

संलग्न :- सरकारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक

संख्या UA1969358

दिनांक 18.3.06

रूपये 5.90000.00

भवदीय
 (डा० रामानन्द)

उपनिदेशक,
पशुलोक ।

प्रेषक,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग (उत्तरांचल),
गोपेश्वर-चमोली ।

सेवा में,

उप निदेशक,
केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
पशुलोक-ऋषिकेश (देहरादून) ।

संख्या 2058 /नि./पशु.पुनर्स्थाना/2005-06 दिनांक 22 फरवरी 2006,

विषय :- स्थान पशुलोक में स्व० मीराबेन की मूर्ति की स्थापना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 743/XV-1/2(75)/2006 दिनांक 18 फरवरी 2006 प्रतिलिपि संलग्न द्वारा स्थान पशुलोक में स्व. मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना हेतु रू० 5.90 का बजट आवंटन/वित्तीय स्वीकृति राज्य आकस्मिकता निधि से प्रदान की गयी है। को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रदिष्ट किया जाता है।

कृपया आवंटित धनराशि रू० 5.90 लाख का अग्रिम आहरण संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-लेखा-201-समिकित निधि के विनियोग तथा अंततः अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-00-आयोजनागत-106-अन्य पशुधन विकास-9103-पशुलोक में स्व. मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायगा।

संलग्न- उक्तानुसार ।

भवदीय

(दमयन्ती दोहरे)

अपर निदेशक ।

संख्या /नि./पशु. पुनर्स्थापना/05-06

दिनांकित :-

प्रतिलिपि उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल माजरा देहरादून ।
3. लेखा शाखा मुख्यालय ।
4. अपर सचिव, उत्तरांचल शासन, पशुधन अनुभाग, सचिवालय-देहरादून ।
5. सचिव, उत्तरांचल शासन पशुधन अनुभाग सचिवालय देहरादून ।

संलग्न-शासनादेश ।

(दमयन्ती दोहरे)

प्रेषक,

नवीन चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
गोपेश्वर-चमौली ।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 18 फरवरी 2006,

विषय :- स्थान पशुलोक में स्व0 मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना।महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर पशुलोक में स्व0 मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना करने का निर्णय लिया है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण तथा व्यय अपरिहार्य होने के कारण श्री राज्यपाल महोदय स्थान पशुलोक में स्व0 मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना हेतु परियोजना प्रबन्धक निर्माण विंग उत्तरांचल पेयजल निगम ऋषिकेश उत्तरांचल द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रूपया 5.90 लाख (रूपया पांच लाख नब्बे हजार मात्र) की राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप से अहरित कर चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कही आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र वी0एम0-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
3. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का समायोजन यथा समय कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-लेखा-201-समिकित निधि के विनियोग तथा अतंतः अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-00-आयोजनागत-106-अन्य पशुधन विकास-9103-पशुलोक में स्व0 मीरा बेन की मूर्ति की स्थापना-42 अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

भवदीय

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

वित्त विभाग

स0आ0नि0संख्या :-100/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/2000-तददिनांक

प्रतिलिपि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल इलाहबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या – 743(1)/XV-1/2(75)/2005- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तरांचल।
2. उप निदेशक केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पशुलोक ऋषिकेश देहरादून।
3. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून।
4. जिलाधिकारी देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
6. बजट राजकोषिय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
7. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा देहरादून।
8. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमोंयू मण्डल नैनीताल।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
10. निजी सचिव, मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
11. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
12. परियोजना प्रबन्धक यूनिट-3 निर्माण विंग, उत्तरांचल पेयजल निगम ऋषिकेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(दमयन्ती दोहरे)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति – 2005

प्रस्तावना :-

- 1.1 उत्तराखण्ड राज्य का उदय देश के 27 वे राज्य के रूप में 9 नवम्बर 2000 को हुआ । इसके गठन के मूल में यह अवधारणा थी कि राज्य की आर्थिक वृद्धि की दर को उचित प्रशासकीय तकनीकी एवं जनसहभागी तंत्र के विकास द्वारा गति प्रदान की जाय। यह प्रदेश भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और गाय, भैस, भेड, बकरी, सूअर, घोड़े, खच्चर तथा मुर्गी-कुक्कुट जैसे पशुधन से सम्पन्न है।
- 1.2 वर्ष 2003 की पशुधन गणना के अनुसार राज्य में 21.88 लाख गाय, 12.28 लाख भैस, 11.58 लाख बकरियां 2.96 लाख भेड एवं 19.84 लाख [मुर्गी/कुक्कुट](#) थे। उत्तरांचल में संकर गायों की संख्या 2.28 लाख है जो कुल संख्या का मात्र 10.42 प्रतिशत ही है। प्रजनन योग्य मादा गायों की संख्या वर्ष 2003 में 7.58 लाख थी जिनमें 6.51 लाख देसी और अज्ञातकुल तथा 1.07 लाख संकरित थी। प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा भैसे लगभग 7.37 लाख है। राज्य में प्रति गाय प्रति दिन औसत दुग्ध उत्पादन 1.75 कि.ग्रा.एवं प्रति भैस औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 2.97 कि.ग्रा. है। इसके सापेक्ष राष्ट्रीय औसत-गाय 1.72 कि.ग्रा. एवं भैस 2.77 कि.ग्रा. है।
- 1.3 इस तरह उत्तरांचल राज्य में पशुधन की विभिन्न प्रजातियों की संख्या संबंधी [प्राथमिक/बुनियादी](#) आकड़े उपलब्ध है और विभिन्न कृषि वर्गों में पशुधन के वितरण तथा आजीविका में पशुधन की प्रासंगिता पशुधन उत्पादन मात्रा तथा मूल्य एवं पशुधन का राज्य की आर्थिक स्थिति (सकल घरेलू उत्पाद) में महत्वपूर्ण योगदान है।
- 1.4 राज्य में भूमि उपयोग का परीका (बनों तथा पहाडी भूभाग की अधिकता के कारण कृषि भूमि का सीमित होना) अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राकृतिक पशुचारित भूमि की पर्याप्तता अनुकूल जलवायु आदि कारक उत्तरांचल में पशुधन उत्पादन के अपार अवसर उत्पन्न करते हैं।
- 1.5 दूध अण्डा कुक्कुट मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में अभिवृद्धि करने पशु जैविक संरक्षण का प्रोत्साहित करने और पशुधन एवं कुक्कुट की स्थानीय नस्लों के संरक्षण के साथ-साथ संकर प्रजनन को कम उत्पादक पशुओं तक सीमित रखने पशुओं के संचारी रोगों एवं जीवाणुओं/विषाणुओं के नियन्त्रण व उन्नमूलन तथा पशुओं के भरण पोषण और उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ पशु पालकों को [रोजगार/स्वरोजगार](#) के साधन उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि हेतु एक वृहद पशु प्रजनन नीति की आवश्यकता है।
- 1.6 यह नीति प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रजनन नीति उत्तरांचल कृषि नीति में समाहित पशुधन प्रजनन नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं पशु प्रजनन नीति के सलाहकार डा0 एम0जी0पी0 कुरूप की अध्ययन रिपोर्ट और स्थानिय/क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर तैयार कर गई है।

2. प्रस्तावित उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति की परिकल्पना :-

- 2.1 पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में वृद्धि करना।
- 2.2 पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना।
- 2.3 पशु नस्ल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओं (कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन/भ्रूण प्रत्यारोपण) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से वर्तमान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2015 के अन्त तक शत-प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम से आच्छादित करके पशुधन प्रजनन की सुविधा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराना।
- 2.4 दूध, अण्डा, कुक्कुट, मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में बढोत्तरी करना।
- 2.5 पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढोत्तरी करना।

1. लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

- 3.1 पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना।
- 3.2 पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलभ कराना।
- 3.3 पशुओं के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संक्षिप्त/सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
- 3.4 दूध, अण्डा, कुक्कुट, मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना।
- 3.5 पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य/भारवाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में हस्त-पुष्ट बैलों की नियमित आपूर्ति का सृजन सुनिश्चित करना।

- 3.6 मैदानी क्षेत्र को डेयरी उद्यम से आच्छादित करने हेतु उच्च दूध उत्पादन शीघ्र परिपक्वता कम इंटर कार्विंग अवधि और उच्च जनन क्षमता से युक्त इंटर सि मेटिंग हाफब्रेड दुधारु पशुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना।
- 3.7 ज्ञात कुल की गोवंशीय दशी नस्लों (रेड सिन्धी साहीवाल तथा हरयाणा आदि) जिनकी संख्या राज्य में अत्यन्त कम है (2003 की पशुगणना के अनुसार कुल प्रजनन योग्य शुद्ध मादा हरियाणा नस्ल 5178 शुद्ध मादा साहीवाल नस्ल 3957 एवं शुद्ध मादा रेड सिन्धी नस्ल 1499— कुल 10643) के लिये उसी नस्ल के शुद्ध सांडो का वीर्य उपलब्ध करवाकर इन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करना।
- 3.8 उत्तम ऊन विकास के लिए प्रयास करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त ऊन एवं कालीन (कारपेट) ऊन के उत्पादन में वृद्धि लाना।
- 3.9 विद्यमान अवस्थापना यथा— पशुचिकित्सालयों टीका एवं नैदानिक उत्पादन की इकाईयों वीर्य उत्पादन केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों गौशालाओं पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों के प्रभावी उपयोग हेतु उनका पुनसुदृढीकरण/आधुनिकीकरण करना।
- 3.10 प्राइवेट सेक्टर सहकारिताओं तथा गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाओं के लिये प्रोत्साहित करना।
- 3.11 पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के साधन उत्पन्न/सृजित करना।
- 3.12 पशुओं के भरण पोषण तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशुआहार विकसित करना।

4. प्रस्तावित पशुधन प्रजनन नीति :-

- 4.1 गौ एवं महिषवंशीय पशु :
- 4.1.1 पर्वतीय क्षेत्र में बैल कृषि की रीढ़ है। इसलिए कृषि कार्य/भारवाहक पशु उत्पादन हेतु 1500 मी० से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संस्तुत पशुप्रजनन नीति पर्वतीय क्षेत्र के अज्ञात कुल गोवंशीय पशुओं में से चयनित अभिजनन (Selective Breeding) की होनी चाहिये।
- 4.1.2 पर्वतीय जनपदों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति अपनाई जाय कि स्थानीय अवर्गीकृत देशी गाय के प्रजनन/उन्नयन हेतु जर्सी के साथ कासब्रीडिंग तत्पश्चात एफ 1

हाफ ब्रेड का परस्पर समागम(Inter Se Mating) जर्सी X साहीवाल अथवा जर्सी X रेड सिंधी के साथ कराया जाये, जिससे (Exotic blood level)को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकें।

- 4.1.3 मैदानी क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के लिये यह नीति होनी चाहिए कि अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकृत (Non Descript) देशी गाय के प्रजनन हेतु एच.एफ. से कास ब्रीडिंग और इसके बाद हाफ ब्रेड (एच0एफ0 X साहीवाल/एच0एफ0 X रेड सिन्धी/एच0एफ0 X थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter Se Mating) कराया जाये जिससे (Exotic blood level) को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकें।
- 4.1.4 भैसो के लिये सम्पूर्ण राज्य में शुद्ध मुर्गा नस्ल के साथ उन्नयन (Upgrading) किये जाने की सार्वभौमिक नीति अपनाई जानी चाहिए।
- 4.1.5 परस्पर समागम Inter Se Mating के लिये प्रयुक्त होने वाले सभी संग्रह कासबेड (50:50) हो तथा भैस के प्रजनन हेतु अनुवांशिक आधार पर मूल्यांकित भैसा सांड हों।
- 4.1.6 ज्ञात कुल की गौवंशीय देशी नस्लों (रेड सिंधी साहीवाल तथा हरियाणा) के लिये उसी नस्ल के शुद्ध सांडों का वीर्य उपलब्ध कराकर इन प्रजातियों का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित किया जाना है।
- 4.1.7 उत्तरांचल में पशुधन की स्थानीय प्रजातियों यथा—तराई नस्ल की भैस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष प्रयास करने है।
- 4.1.8 संक्षेप में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की प्रजनन नीति का नियोजन निम्नवत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

क्र०सं०	जोन का नाम	प्रजनन नीति	विवरण
1.	जोन ए : 1000 मी० ऊर्चाई तक – ट्रॉपिकल जोन मैदान तराई भावर शिवालिक हिल एवं घाटियाँ।	गाय : 1. स्थानीय अवर्गीकृत गाय का शुद्ध होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ संकरण। 2. एफ 1 के साथ (होल्स्टीन फ्रीजियन X साहीवाल/होल्स्टीन X थारपारकर) का परस्पर समागम 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से <u>संकरण/उन्नयन</u> भैस :-	क. जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं कासबेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा। ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देसी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा।

		शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैस हेतु सार्वभौमिक नीति
2.	जोन बी :- 1000 से 1500 मी० ऊंचाई तक सबट्रॉपिकल जोन	गाय :- <ol style="list-style-type: none"> 1. शुद्ध जर्सी नस्ल से स्थानीय अवर्गीकृत (Non Descript) गाय का संस्करण । 2. एफ के साथ (जर्सी x साहीवाल/जर्सी x रेड सिन्धी) का परस्पर समागम । 3. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी साहीवाल एवं हरियाणवी) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण/उन्नयन । 	क. होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल चाहने वाले को होल्स्टीन फ्रीजियन एवं कासब्रीड होल्स्टीन फ्रीजियन का वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा । ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देशी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा ।
		भैस :- शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैस हेतु सार्वभौमिक नीति
3.	जोन सी : 1500, 2400 मी० ऊंचाई तक कूल टेम्परेट जोन	गाय :- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय अवर्गीकृत (Non Descript) गाय से चयनित प्रजनन । 2. ज्ञात कुल की देशी शुद्ध नस्लों (रेड सिन्धी साहीवाल एवं हरियाणा) का उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से संकरण । 	क. जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं कासबेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा । ख. ज्ञात कुल की शुद्ध देशी नस्ल की गायों का संकरण उसी नस्ल के शुद्ध सांड के वीर्य से किया जायेगा ।
		भैस :- शुद्ध मुर्रा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैस हेतु सार्वभौमिक नीति
4.	जोन डी : 2400, मी० ऊंचाई से अधिक—सबएल्पाइन एवं	गाय :- स्थानीय अवर्गीकृत (Non Descript) गाय	जर्सी नस्ल चुनने वाले को जर्सी एवं कासबेड जर्सी वीर्य उपलब्ध कराया

	एल्पाइन जोन	में चयनित प्रजनन (Selective Breeding)	जायेगा।
		भैस :- शुद्ध मुर्गा वीर्य से अपग्रेडिंग	राज्य भर में भैस हेतु सार्वभौमिक नीति

नोट :-1. वे क्षेत्र जहाँ कृत्रिम गर्भाधान प्रस्तावित/प्रचलित नहीं है प्रजनन नीति के लिए गाय/भैसों में नैसर्गिक अभिजनन हेतु गाय/भैस सांड का उपयोग होगा।

4.2 भेड बकरी एवं अंगोरा शशक प्रजनन नीति :-

- 4.2.1 उत्तरांचल में भेडों की कुल जनसंख्या का एक तिहाई संकर नस्ल की भेडे हैं जिन्हें मैरीनो/रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय भेडों से संकर प्रजनन (Cross Breeding) कराते हुये नस्ल का Upgradatiion किया जाना है।
- 4.2.2 शुद्ध स्थानीय नस्ल (गद्दी रामपुर बुशायर काली भेड) के मध्य उन्नत गुणवत्ता वाले भेडों को चयनित करते हुये चयनित प्रजनन पद्धति **Setective Breeding** अपनायी जायेगी।
- 4.2.3 बकरी प्रजनन नीति के अन्तर्गत स्थानीय नस्ल के मध्य चयनित प्रजनन **Setective Breeding** किया जायेगा।
- 4.2.4 शशक प्रजनन नीति के अन्तर्गत अंगोरा जर्मन शशकों के मध्य चयनित प्रजनन **Setective Breeding** किया जायेगा।

4.3 सूकर प्रजनन नीति :-

- 4.3.1 पशुगणना 2003 के अनुसार प्रदेश में सूकरों की कुल संख्या 32712 है। पर्वतीय क्षेत्र में सूकर पालन की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, यद्यपि प्रदेश में इसके विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं।
- 4.3.2 सूकर प्रजनन नीति के लिए चयनित विदेशी ब्रीड-याक शायर/लार्ज व्हाइट याक शायर (दोनों प्रजातियाँ भारत में उपलब्ध हैं) के साथ नैसर्गिक अभिजनन द्वारा अपग्रेडिंग की जायेगी।

4.4 भार वाहक पशुप्रजनन नीति :-

- 4.4.1 पैक एनिमल (घोड़े खच्चर गधे) की प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक मांग एवं आवश्यकताओं को देखते हुए पशुपालकों को उनके प्रजनन हेतु राष्ट्रीय स्तर से संस्थानों मिलिट्री फार्म आदि के सहयोग से नैसर्गिक अभिजनन के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान

की भी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिससे उत्तम गुणवत्ता के घोड़े खच्चर एवं गधे का उत्पादन एवं प्रजनन किया जा सके।

4.5 याक :-

4.5.1 याक पशुओं हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों एवं अन्य पर्वतीय राज्यों से उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

4.6 कुक्कुट प्रजनन नीति :-

4.6.1 कॉमर्शियल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन पोल्ट्री उद्योग के लिए सर्वोत्तम है क्योंकि उनके पास इस हेतु उत्कृष्ट संसाधन हैं। अतः कामर्शियल पोल्ट्री ब्रीड्स का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

4.6.2 घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय देशी ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन **Selective Breeding** किया जायेगा और देश की अन्य उत्तम कुक्कुट प्रजातियों यथा—पंजाब ब्राउन शुद्ध असील या उनकी संकर नस्लों से स्थानीय अवर्गीकृत देशी कुक्कुटों का संकरण करके उनका नस्ल सुधार किया जायेगा।

4.6.3 कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार हेतु क्वायलर चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था की जायेगी।

5. नीति का क्रियान्वयन :-

5.1 पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट बैलों की आपूर्ति के लिए स्थानीय अवर्गीकृत गोंवशीय पशुओं में से उनकी गुणवत्ता के आधार पर नर-मादा का चयन करके **Selective Breeding** की जायेगी।

5.2 गों वंशीय महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन हेतु पशु प्रजनन नीति के अनुसार उत्तम नस्ल के **Pedigreed/Progeny Tested** सांडों का फ्रीजन सीमेन तथा सांडों का उपयोग किया जायेगा।

5.3 राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए 1000 एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 750 प्रजनन योग्य पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान [केन्द्र/प्राइवेट](#) ए.आई.कार्यकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वर्ष 2015 तक संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

- 5.4 पशुपालकों को उत्तम पशुओं के उत्पादन हेतु प्रजनन चिकित्सा टीकाकरण डिवर्मिंग चारा उत्पादन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ निकृष्ट सांडों/मेढों/बकरों/का बधियाकरण किया जायेगा।
- 5.5 उत्तम दुधारू पशुओं को फील्ड परफॉर्मेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत करके पशुपालकों को उनके क्रय-विक्रय में सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिससे उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सकें।
- 5.6 पशुधन से सम्बन्धित आंकड़ों के रख-रखाव एवं उनका अभिलेखीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत गोवंशीय/महिषवंशीय पशुओं की प्रोजनी टेस्टिंग करके जनहित में उनकी सायर डायरेक्ट्री तैयार करवाई जायेगी।
- 5.7 गाय एवं भैस की स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके गुणवत्ता वाले सांडों का चयन करके अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जायेगा जिससे कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा स्थानीय नस्ल का उन्नयन किया जा सकें।
- 5.8 क्रासब्रेड भेडों की **Upgrading** हेतु मैरीनो एवं रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय मेढे उपलब्ध/वितरित कराये जायेंगे जिससे ऊन की गुणवत्ता में सुधार हो सकें।
- 5.9 शुद्ध स्थानीय नस्ल की भेडों हेतु उन्नत गुणवत्ता वाले मेढों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.10 बकरियों हेतु स्थानीय प्रजाति के ही उत्तम गुणवत्ता वाले बकरों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.11 शशक के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर अंगोरा जर्मन शशकों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.12 सूकरों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर याक शायर/लार्ज व्हाइट याक शायर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 5.13 खच्चर उत्पादन हेतु स्थानीय घाड़ियों के नैसर्गिक अभिजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले **Donkey Stalion** अथवा कृत्रिम गर्भाधान हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले **Donkey Stalion** का अतिहिमीकृत वीर्य उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 5.14 याक पशुओं हेतु उत्तम गुणवत्ता के याक सांडों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- 5.15 कामर्शियल हाइब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
- 5.16 घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय अवर्गीकृत (Non Descript) देशी ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन **Setective Breeding** किया जायेगा ओर देश की अन्य उत्तम कुक्कुट प्रजातियों यथा—पंजाब ब्राउन शुद्ध असील या उनकी संकर नस्लों की केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य राज्यों से आपूर्ति करके उनका उत्पादन किया जायेगा और नस्ल सुधार हेतु कुक्कुट पालकों में उनका वितरण किया जायेगा।
- 5.17 स्वरोजगार हेतु कायलर चूजो के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 5.18 सहकारिताओ स्वैच्छिक संगठनों नस्ल सुधार समितियों तथा कृषकों/पशुपालको को उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पशुधन विकास से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोगशालाओं प्रशिक्षण संस्थानों एवं मानव संसाधन विकास केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।
- 5.19 प्रइवेट सेक्टर तथा गैरसरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशो तथा सेवाए प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 5.20 विभागीय अवस्थापना यथा—पशुचिकित्सालयों नैदानिक उत्पादन इकाईयों वीर्य उत्पादन केन्द्रों कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों गौशालाओं पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों और प्रदर्शन इकाईयों के प्रभावी उपयोग के लिये इनका पुर्नसुदृढीकरण/आधुनिकीकरण किया जायेगा और पशुधन सेक्टर मे प्रसार सम्बन्धी अवस्थापना में भी मौलिक सुधार किया जायेगा।

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप निदेशक,
केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
पशुलोक, ऋषिकेश,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2008

विषय :- पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या-1237/नि0/डेयरी यूनिट/2007-08 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत चालू वत्तीय वर्ष 2007-08 में पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना योजनान्तर्गत गठित आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित रूपया 49.28 लाख (रूपया उनपचास लाख अठाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति में नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- (3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (5) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य कर सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (7) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्यक करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य जाय।
- (8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोग शाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (10) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों की पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े, निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-28 के

लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-00-आयोजनागत-102 पशु तथा भैंस विकास-06-पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण

केन्द्र, पशुलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डेरी यूनिट की स्थापना-42-अन्य व्यय के अर्न्तगत वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-502(P)/XXVII/2007 दिनांक 01 फरवरी, 2008

के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्या-79(1)/XV-1/2007-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारपुर रोड़ देहरादून।
4. जिलाधिकारी देहरादून।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, के पत्र संख्या-1237/नि0/डेयरी यूनिट 2007-08 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग (उत्तराखण्ड), गोपेश्वर-चमोली।

संख्या-1937/नि0-5/भ0नि0रा0सै0 (मीरा बेन)/2008-09

दिनांक 30 सितम्बर, 2008

सेवा में,

उप निदेशक,

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,

पशुलोक-ऋषिकेश देहरादून।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सैक्टर चालू योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-489/गट-1/1(17)/2008, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पशुलोक की विभागीय भूमि एम्स को हस्तान्तरित होने के कारण वहां पर व्यवस्थित मीरा बेन अतिथि गृह को अन्यत्र विभागीय भूमि पर नवनिर्माण हेतु रु0 58.29 लाख (रूपया पिचासी लाख उनतीस हजार) मात्र की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि को व्यय करने हेतु आपको आवंटित किया जाता है।

धनराशि का व्यय शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए किया जाय, तथा संबन्धित निर्माण, एजेन्सी से तुरन्त कार्य प्रारम्भ करवाकर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें तथा शासन द्वारा निर्धारित रूपपत्रों में प्रत्येक माह वित्तीय/भौतिक सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-00-101-पशु चिकित्सा संबंधी सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य-09-पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य-24-बृहद निर्माण के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय

(वी0पी0सिंह)

अपर निदेशक।

संख्या /नि0-5/भ0नि0रा0सै0(मीरा बेन)/2008-09 दिनांकित-

उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2. लेखा शाखा/पशुधन शाखा मुख्यालय।
3. उप निदेशक, पशुपालन विभाग पौड़ी।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड शासन पशुधन अनुभाग, सचिवालय-देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

संलग्न-उक्तानुसार।

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या-374 / XV-1 / 10 / 2(43) / 06
देहरादून: दिनांक 23 फरवरी, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-286 / XV-1 / 10 / 2(43) / 06 दिनांक 16 फरवरी, 2010 द्वारा उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर नामित श्री यतीश्वरानन्द गिरी को गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-26 / 1 / XXI / 2009 दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-26 / 1 / XXI / 2009 दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 द्वारा अनुमन्य सुविधायें देय होंगी।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या-374(1) / XV-1 / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के अवालोकनार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. निजी सचिव समस्त मा० सभा सचिव, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. संबन्धित महानुभाव।
7. अपर सचिव, गोपन उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
12. निदेशक, पशुपालन उत्तराखण्ड देहरादून।
13. उप निदेशक, पशुपालन कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
14. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस०के० पन्त)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या-26 / 1 / XXI / 2009
देहरादून: दिनांक 23 फरवरी, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगों/समितियों/अभिकरणों/एजेन्सियों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर शासन द्वारा नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को निम्नलिखित वेतन/भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

1. प्रतिमाह मानदेय रूपये 10,000/- (निश्चित)
 2. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु संविदा पर ड्राईवर सहित एक स्टाफ कार परन्तु पेट्रोल 150 लीटर प्रतिमाह की सीमा रहेगी।
 3. कार्यालय एवं आवास पर एक-एक टेलीफोन।
 4. वैयक्तिक सहायक-एक (नियत वेतन रू0 6000/-)
 5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक (विभाग द्वारा)
 6. पदीय दायित्वों के लिए राज्य के अन्दर रेल यात्रा करने पर उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक वर्ध।
 7. पदीय दायित्वों के लिये राज्य के अन्दर वायुयान द्वारा यात्रा करने पर इकोनोमी श्रेणी में एक सीट।
 8. दैनिक भत्ता-शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप।
 9. एक गनर सुविधा।
 10. राज्य सरकार के चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार।
 11. आवासीय सुविधा या रू0 7500/- प्रतिमाह।
 12. पदीय कर्तव्यों के पालन में राज्य के अन्दर की गयी यात्राओं में शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप सर्किट हाऊस व अन्य सरकारी निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।
2. उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय उस विभाग या निगम/आयोग/परिषद आदि द्वारा वहन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित महानुभाव नियुक्त हों।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-380 NP /XXVII (5)/2009 दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव।

संख्या-26 / 1 / XXI / 2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
3. अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव